

विज्ञापन सं. 01/2024

संघ लोक सेवा आयोग

निम्नलिखित पदों के लिए चयन द्वारा भर्ती हेतु

(वेबसाइट <https://www.upsconline.nic.in> के माध्यम से*)

ऑन-लाइन भर्ती आवेदन पत्र (ओ.आर.ए.*) आमंत्रित किए जाते हैं

रिक्ति विवरण

1. (रिक्ति सं. 24010101613) रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में सहायक औद्योगिक सलाहकार के पद के लिए एक रिक्ति (अनारक्षित-01)। पद स्थायी है। सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह "क" राजपत्रित, अननुसचिवीय। वेतनमान: 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल-10। आयु : अनारक्षित के लिए 35 वर्ष। अनिवार्य योग्यताएं :
शैक्षिक : (क) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन विज्ञान की किसी भी शाखा (लेकिन जैव-रसायन विज्ञान को छोड़कर) में मास्टर डिग्री; और (ii) केंद्र सरकार / राज्य सरकार / संघ शासित क्षेत्र प्रशासन / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / विश्वविद्यालयों / मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों/ अर्द्ध सरकारी या स्वायत्त निकायों / सांविधिक संगठनों / सूचीबद्ध निजी क्षेत्र संगठनों / कारपोरेट संस्थाओं जो कि रसायन और पेट्रो-रसायन से संबंधित सार्वजनिक हिस्सेदारी वाली कंपनियों / देश के मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हों जो कंपनियां शेयर होल्डिंग में रसायन या पेट्रो-रसायन में कार्यरत हों, में एक वर्ष का अनुभव या (ख) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन इंजीनियरी या रसायन तकनीक में स्नातक डिग्री; और (ii) केंद्र सरकार/ राज्य सरकार / संघ शासित क्षेत्र प्रशासन / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / विश्वविद्यालयों / मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों/ अर्द्ध सरकारी या स्वायत्त निकायों / सांविधिक संगठनों / सूचीबद्ध निजी क्षेत्र संगठनों / कॉर्पोरेट संस्थाओं जो कि रसायन और पेट्रो-रसायन से संबंधित सार्वजनिक हिस्सेदारी वाली कंपनियों / देश के मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हों जो कंपनियां शेयर होल्डिंग में रसायन या पेट्रो-रसायन

में कार्यरत हो, में दो वर्ष का अनुभव। **टिप्पणी :** उम्मीदवारों के अन्यथा अर्हक होने की स्थिति में कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विवेकानुसार योग्यताओं में छूट दी जा सकती है। **कार्य :** भारतीय पेट्रो-रसायन और रसायन उद्योग और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों से संबंधित मामले जिनमें भारत एक पक्षकार है। औद्योगिक लाइसेंस अनुमोदन, 100% निर्यात उन्मुखी मामले, विदेशी सहयोग के लिए प्रस्ताव और एफडीआई मामले, व्यापार से संबंधित मुद्दे, परियोजना आयात के तहत सीमा शुल्क की रियायती दर, सी एंड पीसी क्षेत्रों से संबंधित इनपुट-आउटपुट मानदंडों की जांच करने से संबंधित मामले। **मुख्यालय :** नई दिल्ली।

2. (रिक्ति सं. 24010102613) राष्ट्रीय परीक्षण शाला, उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में वैज्ञानिक-बी (भौतिक रबर, प्लास्टिक और वस्त्र) के पद के लिए एक रिक्ति (अनारक्षित-01)। पद स्थायी है। सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह "क" राजपत्रित, अननुसचिवीय। **वेतनमान:** 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल-10। **आयु :** अनारक्षित के लिए 35 वर्ष। **अनिवार्य योग्यताएं :** (क) **शैक्षिक :** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भौतिकी/रसायन विज्ञान में मास्टर डिग्री या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन इंजीनियरी / रसायन तकनीक / वस्त्र तकनीक/रबर तकनीक/प्लास्टिक इंजीनियरी/पॉलिमर और रबर तकनीक में इंजीनियरी स्नातक या तकनीकी स्नातक। (ख) **अनुभव :** भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री धारक उम्मीदवारों के लिए किसी मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला या संस्थान में सामग्री जैसे वस्त्र, पॉलिमर, कागज, चमड़ा, रबर आदि के परीक्षण और मूल्यांकन में एक वर्ष का प्रायोगिक अनुभव या रसायन इंजीनियरी / रसायन तकनीक / वस्त्र तकनीक/रबर तकनीक/प्लास्टिक इंजीनियरी/पॉलिमर और रबर तकनीक में इंजीनियरी स्नातक या तकनीकी स्नातक धारक उम्मीदवारों के लिए किसी मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला या संस्थान में वस्त्र, पॉलिमर, कागज, चमड़ा, रबर आदि जैसी सामग्री के परीक्षण और मूल्यांकन में दो वर्ष का अनुभव। **वांछनीय :** वस्त्र, रबर, पॉलिमर, कागज, चमड़ा आदि के परीक्षण के आधुनिक यंत्र विषयक तरीकों

में प्रशिक्षण। **टिप्पणी** : उम्मीदवारों के अन्यथा अर्हक होने की स्थिति में कारणों को लिखित रूप में अभिलेखबद्ध करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अर्हताओं में छूट दी जा सकती है। **कार्य** : वैज्ञानिक 'बी' (भौतिक रबर, प्लास्टिक और वस्त्र) पीआरपीटी विषय के समग्र प्रभारी हैं। वह परीक्षण अनुरोधों/अग्रेषण पत्रों की जांच करेंगे, वैज्ञानिक अधिकारी और वैज्ञानिक सहायक को नमूने आबंटित करेंगे, तकनीकी/प्रशासनिक समस्याओं का पर्यवेक्षण और समाधान करेंगे। मसौदा परीक्षण प्रमाण-पत्रों की जाँच करेंगे और अंतिम परीक्षण प्रमाण-पत्रों पर हस्ताक्षर करेंगे। सभी खरीद मामलों की शुरुआत करेंगे और सभी तकनीकी/खरीद/प्रशासनिक मामलों में वैज्ञानिक 'सी' की सहायता करेंगे। **मुख्यालय** : भारत में राष्ट्रीय परीक्षण शाला के क्षेत्रीय कार्यालयों में कहीं भी सेवा करने के दायित्व सहित कोलकाता।

3. (रिक्ति सं. 24010103213) भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, कोलकाता, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सहायक प्राणी विज्ञानी के पद के लिए सात रिक्तियां (अ.जा.-01, अ.पि.व.-01, अनारक्षित-05)। यह रिक्ति बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) की श्रेणी से संबंधित जैसे बधिर और ऊंचा सुनने की अक्षमता अर्थात् बधिर (डी) या ऊंचा सुनने वाले (एचएच), प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात सहित चलने में असमर्थ, कुष्ठरोग उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले से पीड़ित एवं मांसपेशीय कुपोषण संबंधी अक्षमता अर्थात् दोनों पैर प्रभावित लेकिन हाथ नहीं (बीएल) या एक पैर प्रभावित (दायां या बायां) (ओएल) या एक हाथ प्रभावित (दायां या बायां) (ओए) या एक पैर तथा एक हाथ प्रभावित (ओएलए) या प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (सीपी) या कुष्ठ रोग उपचारित (एलसी) या बौनापन (डीडब्ल्यू) या तेजाबी हमले से पीड़ित (एएवी), ऑटिज़्म, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट लर्निंग अक्षमता और मानसिक रोग संबंधी अक्षमता अर्थात् विशिष्ट लर्निंग अक्षमता (एसएलडी) या मानसिक रोग (एमआई), बहुविध अक्षमताओं (एम डी) अर्थात् उपर्युक्त अक्षमताओं की श्रेणियों में से कम से कम दो अक्षमताओं वाले उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त है। पद स्थायी है। सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह "ख" राजपत्रित, अननुसचिवीय। **वेतनमान**: 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल-07।

आयु : अ.जा. के लिए 35 वर्ष, अ.पि.व. के लिए 33 वर्ष और अनारक्षित के लिए 30 वर्ष। **अनिवार्य योग्यताएं :** (क) **शैक्षिक :** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से प्राणी विज्ञान में मास्टर डिग्री। (ख) **अनुभव :** प्राणी विज्ञान के क्षेत्र में सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कार्य में दो वर्ष का अनुभव। **वांछनीय :** क्षेत्र में प्राणी विज्ञानी नमूनों के संग्रहण और संरक्षण में और किसी संग्रहालय या प्राणी अनुसंधान संस्थान में वृहत प्राणी संग्रह को संभालने और बनाए रखने में प्रशिक्षण/अनुभव। **टिप्पणी-I :** उम्मीदवारों के अन्यथा अर्हक होने की स्थिति में कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विवेकानुसार योग्यताओं में छूट दी जा सकती है। **टिप्पणी-II :** अनुसूचित जाति से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में यदि चयन के किसी भी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग का यह मत है कि इस समुदाय से उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो इन कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुभव संबंधी योग्यताओं में छूट दी जा सकती है। **कार्य :** (i) सहायक प्राणीविज्ञानी के प्रभार के तहत प्राणियों के वर्गीकरण, आकृति विज्ञान, पारिस्थितिकी पर अनुसंधान। (ii) उस भाग के जानवरों के संग्रहण की देखभाल, संरक्षण, अनुरक्षण और पहचान, जिसमें सहायक प्राणीविज्ञानी, वैज्ञानिक 'बी' की देखरेख में लगाया हुआ है। (iii) वैज्ञानिक 'बी' के पर्यवेक्षण में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के प्रभारी, संग्रहालय की सार्वजनिक दीर्घाओं में प्राणी विज्ञान प्रदर्शनियों की देखभाल और अनुरक्षण। (iv) पशु-वर्ग-वेत्ता संबंधी सर्वेक्षण। (v) प्राणीशास्त्रीय साहित्य को सूचीबद्ध करना, सार-संक्षेपण करना और दस्तावेजीकरण करना, ग्रंथसूची आदि तैयार करना। (vi) निदेशक, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य। **मुख्यालय :** भारत में कहीं भी सेवा करने के दायित्व सहित कोलकाता।

4. (रिक्ति सं. 24010104113) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में विशेषज्ञ ग्रेड III सहायक प्रोफेसर ओटो-राइनो-लैरिंगोलॉजी (कान, नाक और गला), के पद के लिए आठ रिक्तियां (अ.जा.-01, अ.पि.व.-02, ईडब्ल्यूएस-01, अनारक्षित-04)। ये रिक्तियां बेंचमार्क

दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) की श्रेणी से संबंधित जैसे दृष्टिहीन और अल्प दृष्टि संबंधी अक्षमता अर्थात् अल्प दृष्टि (एलवी), बधिर और ऊंचा सुनने संबंधी अक्षमता अर्थात् ऊंचा सुनने वाले (एचएच), प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात सहित चलने में असमर्थ, कुष्ठरोग उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले से पीड़ित तथा मांसपेशीय कुपोषण संबंधी अक्षमता अर्थात् एक पैर प्रभावित (दायां या बायां) (ओएल) या पीठ और कूल्हे का अकड़ना (बैठ या झुक नहीं सकते) (बीएच) या कुष्ठरोग उपचारित (एलसी) या बौनापन (डीडब्ल्यू) या तेजाबी हमले से पीड़ित (एएवी) उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त हैं। पद स्थायी हैं। केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा विशेषज्ञ उप-संवर्ग ग्रुप "क"। वेतनमान: 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल-11+प्रै.नि.भ.। आयु : अ.जा. के लिए 45 वर्ष, अ.पि.व. के लिए 43 वर्ष और ईडब्ल्यूएस/अनारक्षित के लिए 40 वर्ष। अनिवार्य योग्यताएं

(क) : शैक्षिक : (i) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की प्रथम अनुसूची या द्वितीय अनुसूची या तृतीय अनुसूची के भाग-II में सम्मिलित (लाइसेंसधारी योग्यताओं को छोड़कर) मान्यताप्राप्त एमबीबीएस डिग्री योग्यता। तृतीय अनुसूची के भाग-II में सम्मिलित शैक्षिक योग्यता धारकों को भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 13 की उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट शर्तों को भी पूरा करना होगा। (ii) मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थान से सीएचएस नियमों की अनुसूची VI के खंड-क में उल्लिखित संबंधित विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर डिग्री अर्थात् मास्टर ऑफ सर्जरी (ओटो-राइनो-लैरिंगोलॉजी); या डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड (ओटो-राइनो-लैरिंगोलॉजी)।

(ख) अनुभव : प्रथम डिग्री प्राप्त करने के बाद किसी मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थान में संबंधित विशेषज्ञता या सुपर-विशेषज्ञता में वरिष्ठ रेजिडेंट या ट्यूटर या डिमांस्ट्रेटर या रजिस्ट्रार या सहायक प्रोफेसर या व्याख्याता के रूप में कम से कम तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव। **टिप्पणी-I:** किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कोई भी स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा, जो भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की अनुसूचियों में शामिल या हटा दिया गया हो, उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो या जिसकी मान्यता वापस ले ली गई हो, के परिणामस्वरूप अनुसूची-VI में तदनुसार शामिल किया हुआ या हटाया गया माना जाएगा।

टिप्पणी-II : भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त स्नातकोत्तर चिकित्सा योग्यताएं अनुसूची-VI के प्रयोजनार्थ भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की अनुसूचियों में अनिवार्यतः सम्मिलित की गई हो ।

टिप्पणी-III : डी.एन.बी. योग्यताएं, चिकित्सा संस्था (संशोधन) विनियम, 2012, संशोधित अधिसूचना संख्या एम सी आई- 12(2)/2010-चिकित्सा, विविध दिनांक 11/06/2012 या समय-समय पर यथासंशोधित, में शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता में निर्धारित अपेक्षा के प्रावधानों के अध्यक्षीन है।

टिप्पणी-IV : अध्यापन पदों पर भर्ती संबंधी पात्रता प्रयोजन के लिए जनरल ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी जैसे किसी अन्य पद के अध्यापन अनुभव पर विचार नहीं किया जाएगा ।

टिप्पणी-V : उम्मीदवारों के अन्यथा अर्हक होने की स्थिति में कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विवेकानुसार योग्यताओं में छूट दी जा सकती है।

टिप्पणी-VI : अनुसूचित जाति से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में यदि चयन के किसी भी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग का यह मत है कि इस समुदाय से उनके लिए आरक्षित पद को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो इन कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुभव संबंधी योग्यताओं में छूट दी जा सकती है।

कार्य : (i) अवर-स्नातक/ स्नातकोत्तर मेडिकल छात्रों को सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक अनुदेश देना । (ii) उक्त विशेषज्ञता में अनुसंधान कार्य का संचालन एवं मार्गदर्शन करना। (iii) उक्त विशेषज्ञता में रोगियों की देखभाल करना। (iv) प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर सौंपे जाने वाले अन्य कार्य करना।

मुख्यालय : प्रारंभ में दिल्ली। हालाँकि, सेवा में नियुक्त अधिकारी भारत में कहीं भी सेवा करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

कोई अन्य शर्त : सीएचएस नियमावली, 2014 तथा विशेषतः समय-समय पर लागू अन्य नियमावली में यथा निर्धारित सेवा की अन्य शर्तें : (क) किसी भी प्रकार की निजी प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी जिसमें सभी प्रकार के परामर्श तथा प्रयोगशाला प्रैक्टिस भी शामिल है। (ख) चुने गए उम्मीदवार, आवश्यकता पड़ने पर भारत की किसी भी रक्षा सेवा अथवा रक्षा से संबद्ध किसी भी पद पर कम से कम चार वर्ष तक सेवा प्रदान करने हेतु उत्तरदायी होंगे, जिसमें

प्रशिक्षण की अवधि, यदि कोई है, भी सम्मिलित है, बशर्ते कि ऐसे अधिकारी को : (i) सेवा में नियुक्ति अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 10 वर्ष की समाप्ति के बाद पूर्वोक्त पद पर कार्य करना अपेक्षित नहीं होगा, (ii) उसे 45 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के बाद साधारणतया पूर्वोक्त पद पर कार्य करना अपेक्षित नहीं होगा, (ग) सभी रिक्तियां स्थायी हैं, परंतु रिक्तियां अस्थायी आधार पर भरी जाएंगी और नियुक्त व्यक्तियों को, उनकी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरा करने के पश्चात् ही, सेवा में पुष्ट / स्थायी किया जाएगा।

5. (रिक्ति सं. 24010105113) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में विशेषज्ञ ग्रेड III सहायक प्रोफेसर (खेल चिकित्सा), के पद के लिए तीन रिक्तियां (अ.पि.व.-01, अनारक्षित-02)। ये रिक्तियां बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) की श्रेणी से संबंधित जैसे प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात सहित चलने में असमर्थ, कुष्ठरोग उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले से पीड़ित तथा मांसपेशीय कुपोषण संबंधी अक्षमता अर्थात् एक पैर प्रभावित (दायां या बायां) (ओएल) या कुष्ठरोग उपचारित (एलसी) या बौनापन (डीडब्ल्यू) या तेजाबी हमले से पीड़ित (एएवी) उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त हैं। पद स्थायी हैं। केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा विशेषज्ञ उप-संवर्ग ग्रुप "क"। वेतनमान: 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल-11+पै.नि.भ.। आयु : अ.पि.व. के लिए 43 वर्ष और अनारक्षित के लिए 40 वर्ष। अनिवार्य योग्यताएं (क) : शैक्षिक : (i) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की प्रथम अनुसूची या द्वितीय अनुसूची या तृतीय अनुसूची के भाग-II में सम्मिलित (लाइसेंसधारी योग्यताओं को छोड़कर) मान्यताप्राप्त एमबीबीएस डिग्री योग्यता। तृतीय अनुसूची के भाग-II में सम्मिलित शैक्षिक योग्यता धारकों को भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 13 की उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट शर्तों को भी पूरा करना होगा। (ii) मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थान से सीएचएस नियमों की अनुसूची VI के खंड-क में उल्लिखित संबंधित विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर डिग्री अर्थात् डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (खेल चिकित्सा) या मास्टर ऑफ सर्जरी (हड्डी रोग); या डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (शारीरिक चिकित्सा और पुनर्वास); या डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड (खेल

चिकित्सा /हड्डी रोग/पीएमआर); या खेल चिकित्सा में दो वर्ष के अनुभव के साथ डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (शरीर क्रिया विज्ञान); या खेल चिकित्सा में दो वर्ष के अनुभव के साथ डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड (शरीर क्रिया विज्ञान)।

(ख) अनुभव : प्रथम स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के बाद किसी मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थान में संबंधित विशेषज्ञता या सुपर-विशेषज्ञता में वरिष्ठ रेजिडेंट या ट्यूटर या डिमांस्ट्रेटर या रजिस्ट्रार या सहायक प्रोफेसर या व्याख्याता के रूप में कम से कम तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव। **टिप्पणी-I :** किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कोई भी स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा, जो भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की अनुसूचियों में शामिल या हटा दिया गया हो, उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो या जिसकी मान्यता वापस ले ली गई हो, के परिणामस्वरूप अनुसूची-VI में तदनुसार शामिल किया हुआ या हटाया गया माना जाएगा। **टिप्पणी-II :** भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त स्नातकोत्तर चिकित्सा योग्यताएं अनुसूची-VI के प्रयोजनार्थ भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की अनुसूचियों में अनिवार्यतः सम्मिलित की गई हो। **टिप्पणी-III :** नियंत्रक प्राधिकारी, आयोग के परामर्श से, अनुसूची के भाग क, भाग ख, भाग ग या भाग घ में किसी भी चिकित्सा योग्यता को शामिल कर सकता है। **टिप्पणी-IV :** डी.एन.बी. योग्यताएं, चिकित्सा संस्था (संशोधन) विनियम, 2012, संशोधित अधिसूचना संख्या एम सी आई- 12(2)/2010-चिकित्सा, विविध दिनांक 11/06/2012 या समय समय पर यथासंशोधित, में शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता में निर्धारित अपेक्षा के प्रावधानों के अध्याधीन है। **टिप्पणी-V :** अध्यापन पदों पर भर्ती के लिए पात्रता के प्रयोजन से जी डी एम ओ / मेडिकल आफिसर जैसे अन्य पदों पर प्राप्त अध्यापन अनुभव पर विचार नहीं किया जाएगा। **टिप्पणी-VI :** उम्मीदवारों के अन्यथा अर्हक होने की स्थिति में कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विवेकानुसार योग्यताओं में छूट दी जा सकती है। **कार्य :** (i) अवर-स्नातक/ स्नातकोत्तर मेडिकल छात्रों को सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक अनुदेश देना। (ii) उक्त विशेषज्ञता में अनुसंधान कार्य का संचालन एवं मार्गदर्शन करना। (iii) उक्त विशेषज्ञता में रोगियों की देखभाल

करना। (iv) प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर सौंपे जाने वाले अन्य कार्य करना। **मुख्यालय** : प्रारम्भिक रूप से दिल्ली। हालाँकि, सेवा में नियुक्त अधिकारी भारत में कहीं भी सेवा करने के लिए उत्तरदायी होंगे। **कोई अन्य शर्त** : सीएचएस नियमावली, 2014 तथा विशेषतः समय-समय पर लागू अन्य नियमावली में यथा निर्धारित सेवा की अन्य शर्तें : (क) किसी भी प्रकार की निजी प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी जिसमें सभी प्रकार के परामर्श तथा प्रयोगशाला प्रैक्टिस भी शामिल है। (ख) चुने गए उम्मीदवार, आवश्यकता पड़ने पर भारत की किसी भी रक्षा सेवा अथवा रक्षा से संबद्ध किसी भी पद पर कम से कम चार वर्ष तक सेवा प्रदान करने हेतु उत्तरदायी होंगे, जिसमें प्रशिक्षण की अवधि, यदि कोई है, भी सम्मिलित है, बशर्ते कि ऐसे अधिकारी को : (i) सेवा में नियुक्ति अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 10 वर्ष की समाप्ति के बाद पूर्वोक्त पद पर कार्य करना अपेक्षित नहीं होगा, (ii) उसे 45 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के बाद साधारणतया पूर्वोक्त पद पर कार्य करना अपेक्षित नहीं होगा। (ग) सभी रिक्तियां स्थायी हैं, परंतु रिक्तियां अस्थायी आधार पर भरी जाएंगी और नियुक्त व्यक्तियों को, उनकी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरा करने के पश्चात् ही, सेवा में पुष्ट / स्थायी किया जाएगा।

6. (रिक्ति सं. 24010106113) **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में विशेषज्ञ ग्रेड III (बाल चिकित्सा सर्जरी), के पद के लिए तीन रिक्तियां (अ.जा.-01, अ.पि.व.-01, ईडब्ल्यूएस-01)।** ये रिक्तियां बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) की श्रेणी से संबंधित जैसे प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात सहित चलने में असमर्थ, कुष्ठरोग उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले से पीड़ित तथा मांसपेशीय कुपोषण संबंधी अक्षमता अर्थात् कुष्ठरोग उपचारित (एलसी) या बौनापन (डीडब्ल्यू) या तेजाबी हमले से पीड़ित (एएवी) उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त हैं। पद स्थायी हैं। केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा गैर-अध्यापन विशेषज्ञ उप-संवर्ग ग्रुप "क"। **वेतनमान:** 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल-11+पै.नि.भ.। **आयु** : अ.जा. के लिए 45 वर्ष, अ.पि.व. के लिए 43 वर्ष और ईडब्ल्यूएस के लिए 40 वर्ष। **अनिवार्य योग्यताएं (क) : शैक्षिक** : (i) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956

(1956 का 102) की प्रथम अनुसूची या द्वितीय अनुसूची या तृतीय अनुसूची के भाग-II में सम्मिलित (लाइसेंसधारी योग्यताओं को छोड़कर) मान्यताप्राप्त एमबीबीएस डिग्री योग्यता। तृतीय अनुसूची के भाग-II में सम्मिलित शैक्षिक योग्यता धारकों को भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 13 की उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट शर्तों को भी पूरा करना होगा।

(ii) मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थान से सीएचएस नियमों की अनुसूची VI के खंड-क में उल्लिखित संबंधित विशेषज्ञता या सुपर स्पेशलिटी में स्नातकोत्तर डिग्री अर्थात् मजिस्टर चिरूरगिए (बाल चिकित्सा सर्जरी) या डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड (बाल चिकित्सा सर्जरी)। **(ख) अनुभव :** प्रथम स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के बाद संबंधित विशेषज्ञता या सुपर-विशेषज्ञता में तीन वर्ष का अनुभव।

टिप्पणी-I : तीन वर्ष की अवधि वाली मजिस्टर चिरूरगिए (एम.सीएच.) योग्यता की गणना अपेक्षित शिक्षण अनुभव के लिए की जाएगी। **टिप्पणी-II:** पांच वर्ष की अवधि वाली मजिस्टर चिरूरगिए (एम.सीएच.) में से तीन वर्ष की गणना अपेक्षित स्नातकोत्तर डिग्री पूरा होने और मजिस्टर चिरूरगिए (एम.सीएच.) डिग्री के अंतिम दो वर्ष की गणना अपेक्षित शिक्षण अनुभव के लिए की जाएगी।

टिप्पणी-III : उम्मीदवारों के अन्यथा अर्हक होने की स्थिति में कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विवेकानुसार योग्यताओं में छूट दी जा सकती है। **टिप्पणी- IV:** अनुसूचित जाति से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में यदि चयन के किसी भी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग का यह मत है कि इस समुदाय से उनके लिए आरक्षित पद को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो इन कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुभव संबंधी योग्यताओं में छूट दी जा सकती है। **कार्य :** (i) उक्त विशेषज्ञता में अनुसंधान कार्य का संचालन एवं मार्गदर्शन करना। (ii) उक्त विशेषज्ञता में रोगियों की देखभाल करना। (iii) प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर सौंपे जाने वाले अन्य कार्य करना । **मुख्यालय :** दिल्ली। हालाँकि, सेवा में नियुक्त अधिकारी भारत में कहीं भी सेवा करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

कोई अन्य शर्त : सीएचएस नियमावली, 2014 तथा विशेषतः समय-समय पर लागू अन्य नियमावली में यथा निर्धारित सेवा की अन्य शर्तें : (क) किसी भी

प्रकार की निजी प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी जिसमें सभी प्रकार के परामर्श तथा प्रयोगशाला प्रैक्टिस भी शामिल है। (ख) चुने गए उम्मीदवार, आवश्यकता पड़ने पर भारत की किसी भी रक्षा सेवा अथवा रक्षा से संबद्ध किसी भी पद पर कम से कम चार वर्ष तक सेवा प्रदान करने हेतु उत्तरदायी होंगे, जिसमें प्रशिक्षण की अवधि, यदि कोई है, भी सम्मिलित है, बशर्ते कि ऐसे अधिकारी को : (i) सेवा में नियुक्ति अथवा कार्यभार ग्रहण की तारीख से 10 वर्ष की समाप्ति के बाद पूर्वोक्त पद पर कार्य करना अपेक्षित नहीं होगा, (ii) उसे 45 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के बाद साधारणतया पूर्वोक्त पद पर कार्य करना अपेक्षित नहीं होगा, (ग) सभी रिक्तियां स्थायी हैं, परंतु रिक्तियां अस्थायी आधार पर भरी जाएंगी और नियुक्त व्यक्तियों को, उनकी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरा करने के पश्चात् ही, सेवा में पुष्ट / स्थायी किया जाएगा।

7. (रिक्ति सं. 24010107113) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में विशेषज्ञ ग्रेड III (प्लास्टिक और पुनर्निर्माण सर्जरी), के पद के लिए दस रिक्तियां (अ.जा.-01, अ.पि.व.-05, ईडब्ल्यूएस-01, अनारक्षित-03)। पद स्थायी हैं। केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा गैर-अध्यापन विशेषज्ञ उप-संवर्ग ग्रुप "क"। वेतनमान: 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल-11+प्रा.नि.भ.। आयु : अ.जा. के लिए 45 वर्ष, अ.पि.व. के लिए 43 वर्ष और ईडब्ल्यूएस/अनारक्षित के लिए 40 वर्ष। अनिवार्य योग्यताएं (क) : शैक्षिक : (i) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की प्रथम अनुसूची या द्वितीय अनुसूची या तृतीय अनुसूची के भाग-II में सम्मिलित (लाइसेंसधारी योग्यताओं को छोड़कर) मान्यताप्राप्त एमबीबीएस डिग्री योग्यता। तृतीय अनुसूची के भाग-II में सम्मिलित शैक्षिक योग्यता धारकों को भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 13 की उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट शर्तों को भी पूरा करना होगा। (ii) मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थान से सीएचएस नियमों की अनुसूची VI के खंड-क में उल्लिखित संबंधित विशेषज्ञता या सुपर विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर डिग्री अर्थात् मजिस्टर चिरूरगिए (प्लास्टिक सर्जरी) या मजिस्टर चिरूरगिए (प्लास्टिक

और रचनात्मक सर्जरी); या डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड (प्लास्टिक सर्जरी/प्लास्टिक और पुनर्निर्माण शल्य-चिकित्सा)। **(ख) अनुभव** : प्रथम स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के उपरान्त संबंधित विशेषज्ञता या सुपर-विशेषज्ञता में तीन वर्ष का अनुभव। **टिप्पणी-I** : तीन वर्ष की अवधि वाली मजिस्टर चिरूरगिए (एम.सीएच.) योग्यता की गणना अपेक्षित शिक्षण अनुभव के लिए की जाएगी। **टिप्पणी-II**: पांच वर्ष की अवधि वाली मजिस्टर चिरूरगिए (एम.सीएच.) में से तीन वर्ष की गणना अपेक्षित स्नातकोत्तर डिग्री पूरा होने और मजिस्टर चिरूरगिए (एम.सीएच.) डिग्री के अंतिम दो वर्ष की गणना अपेक्षित शिक्षण अनुभव के लिए की जाएगी। **टिप्पणी-III** : उम्मीदवारों के अन्यथा अर्हक होने की स्थिति में कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विवेकानुसार योग्यताओं में छूट दी जा सकती है। **टिप्पणी-IV**: अनुसूचित जाति से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में यदि चयन के किसी भी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग का यह मत है कि इस समुदाय से उनके लिए आरक्षित पद को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो इन कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुभव संबंधी योग्यताओं में छूट दी जा सकती है। **कार्य** : (i) उक्त विशेषज्ञता में अनुसंधान कार्य का संचालन एवं मार्गदर्शन करना। (ii) उक्त विशेषज्ञता में रोगियों की देखभाल करना। (iii) प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर सौंपे जाने वाले अन्य कार्य करना। **मुख्यालय** : दिल्ली। हालाँकि, सेवा में नियुक्त अधिकारी भारत में कहीं भी सेवा करने के लिए उत्तरदायी होंगे। **कोई अन्य शर्त** : सीएचएस नियमावली, 2014 तथा विशेषतः समय-समय पर लागू अन्य नियमावली में यथा निर्धारित सेवा की अन्य शर्तें : (क) किसी भी प्रकार की निजी प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी जिसमें सभी प्रकार के परामर्श तथा प्रयोगशाला प्रैक्टिस भी शामिल है। (ख) चुने गए उम्मीदवार, आवश्यकता पड़ने पर भारत की किसी भी रक्षा सेवा अथवा रक्षा से संबद्ध किसी भी पद पर कम से कम चार वर्ष तक सेवा प्रदान करने हेतु उत्तरदायी होंगे, जिसमें प्रशिक्षण की अवधि, यदि कोई है, भी सम्मिलित है, बशर्ते कि ऐसे अधिकारी को : (i) सेवा में नियुक्ति अथवा कार्यभार ग्रहण की तारीख से 10 वर्ष की समाप्ति के बाद पूर्वोक्त पद पर कार्य करना अपेक्षित नहीं होगा, (ii) उसे 45 वर्ष

की आयु प्राप्त कर लेने के बाद साधारणतया पूर्वोक्त पद पर कार्य करना अपेक्षित नहीं होगा, (ग) सभी रिक्तियां स्थायी हैं, परंतु रिक्तियां अस्थायी आधार पर भरी जाएंगी और नियुक्त व्यक्तियों को, उनकी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरा करने के पश्चात् ही, सेवा में पुष्ट / स्थायी किया जाएगा।

8. (रिक्ति सं. 24010108113) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में विशेषज्ञ ग्रेड III ओटो-राइनो-लैरिंगोलॉजी (कान, नाक और गला), के पद के लिए ग्यारह रिक्तियां (अ.पि.व.-05, ईडब्ल्यूएस-01, अनारक्षित-05)। ये रिक्तियां बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) की श्रेणी से संबंधित जैसे दृष्टिहीन और अल्प दृष्टि संबंधी अक्षमता अर्थात् अल्प दृष्टि (एलवी), बधिर और ऊंचा सुनने संबंधी अक्षमता अर्थात् ऊंचा सुनने वाले (एचएच), प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात सहित चलने में असमर्थ, कुष्ठरोग उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले से पीड़ित तथा मांसपेशीय कुपोषण संबंधी अक्षमता अर्थात् एक पैर प्रभावित (दायां या बायां) (ओएल) या पीठ और कूल्हे का अकड़ना (बैठ या झुक नहीं सकते) (बीएच) या कुष्ठरोग उपचारित (एलसी) या बौनापन (डीडब्ल्यू) या तेजाबी हमले से पीड़ित (एएवी) उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त हैं। पद स्थायी हैं। केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा विशेषज्ञ उप-संवर्ग ग्रुप "क"। वेतनमान: 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल-11+प्रै.नि.भ.। आयु : अ.पि.व. के लिए 43 वर्ष और ईडब्ल्यूएस/अनारक्षित के लिए 40 वर्ष। अनिवार्य योग्यताएं (क) : शैक्षिक : (i) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की प्रथम अनुसूची या द्वितीय अनुसूची या तृतीय अनुसूची के भाग-II में सम्मिलित (लाइसेंसधारी योग्यताओं को छोड़कर) मान्यताप्राप्त एमबीबीएस डिग्री योग्यता। तृतीय अनुसूची के भाग-II में सम्मिलित शैक्षिक योग्यता धारकों को भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 13 की उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट शर्तों को भी पूरा करना होगा। (ii) सीएचएस नियमों की अनुसूची VI के खंड-क या खंड ख में उल्लिखित संबंधित विशेषज्ञता या सुपर विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा अर्थात् मास्टर ऑफ सर्जरी (ओटो-राइनो-

लैरिंगोलॉजी); या डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड (ओटो-राइनो-लैरिंगोलॉजी) या ओटो-राइनो-लैरिंगोलॉजी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा। **टिप्पणी-I** : किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कोई भी स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा, जो भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की अनुसूचियों में शामिल या हटा दिया गया हो, उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो या जिसकी मान्यता वापस ले ली गई हो, के परिणामस्वरूप अनुसूची-VI में तदनुसार शामिल किया हुआ या हटाया गया माना जाएगा। **टिप्पणी-II** : भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त स्नातकोत्तर चिकित्सा योग्यताएं अनुसूची-VI के प्रयोजनार्थ भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की अनुसूचियों में अनिवार्यतः सम्मिलित की गई हो। **टिप्पणी-III**: नियंत्रक प्राधिकारी, आयोग के परामर्श से, अनुसूची के भाग क, भाग ख, भाग ग या भाग घ में किसी भी चिकित्सा योग्यता को शामिल कर सकता है। **टिप्पणी-IV** : डीएनबी योग्यताएं, चिकित्सा संस्थान (संशोधन) विनियम, 2012, संशोधित अधिसूचना संख्या एमसीआई-12(2)/2010-चिकित्सा, विविध, दिनांक 11/06/2012 या समय समय पर यथा संशोधित, शिक्षकों के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं में विहित अपेक्षाओं संबंधी प्रावधानों के अध्यक्षीन है। **टिप्पणी-V** : उम्मीदवारों के अन्यथा अर्हक होने की स्थिति में कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विवेकानुसार योग्यताओं में छूट दी जा सकती है। **(ख) अनुभव** : प्रथम स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के बाद संबंधित विशेषज्ञता अथवा सुपर-विशेषज्ञता में तीन वर्ष का अनुभव या स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद 5 वर्ष का अनुभव। **टिप्पणी-1** : तीन वर्ष की अवधि वाली डॉक्टरेट ऑफ मेडिसन (डी.एम.) या मेजिस्टर चिरूरगिए (एम.सीएच.) योग्यता की गणना संबंधित व्यापक विशेषज्ञता में अपेक्षित अनुभव के लिए की जाएगी। **टिप्पणी-2** : पांच वर्ष की अवधि वाली डॉक्टरेट ऑफ मेडिसन (डी.एम.) या मेजिस्टर चिरूरगिए (एम.सीएच.) में से प्रथम तीन वर्ष की गणना अपेक्षित स्नातकोत्तर डिग्री पूरा होने और उक्त डॉक्टरेट ऑफ मेडिसन (डी.एम.) या मेजिस्टर चिरूरगिए (एम.सीएच.) डिग्री के अंतिम दो वर्ष की गणना अपेक्षित अध्यापन अनुभव के लिए की जाएगी। **कार्य** : (i) स्पेशलिटी में अनुसंधान कार्य

का संचालन और मार्गदर्शन करना। (ii) स्पेशलिटी में रोगियों की देखभाल करना। (iii) समय-समय पर प्राधिकारियों द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य ।

मुख्यालय : अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश। यद्यपि सेवा में नियुक्त अधिकारियों को भारत में कहीं भी कार्य करना अपेक्षित होगा। **कोई अन्य शर्त** : सीएचएस नियमावली, 2014 तथा विशेषतः समय-समय पर लागू अन्य नियमावली में यथा निर्धारित सेवा की अन्य शर्तें (क) किसी भी प्रकार की निजी प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी जिसमें सभी प्रकार के परामर्श तथा प्रयोगशाला प्रैक्टिस भी शामिल हैं । (ख) चुने गए उम्मीदवार, आवश्यकता पड़ने पर भारत की किसी भी रक्षा सेवा या रक्षा से संबद्ध किसी भी पद पर कम से कम चार वर्ष तक सेवा प्रदान करने हेतु उत्तरदायी होंगे, जिसमें प्रशिक्षण की अवधि, यदि कोई है, भी सम्मिलित है, बशर्ते कि ऐसे अधिकारी को (i) सेवा में नियुक्ति या सेवा ग्रहण करने की तारीख से 10 वर्ष की समाप्ति के बाद पूर्वोक्त पद पर कार्य करना अपेक्षित नहीं होगा, (ii) उसे 45 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के बाद साधारणतया पूर्वोक्त पद पर कार्य करना अपेक्षित नहीं होगा, (ग) सभी रिक्तियां स्थायी हैं, परंतु रिक्तियां अस्थायी आधार पर भरी जाएंगी और नियुक्त व्यक्तियों को, उनकी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरा करने के पश्चात् ही, सेवा में पुष्ट / स्थायी किया जाएगा।

9. (रिक्ति सं. 24010109113) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में विशेषज्ञ ग्रेड III (हृदय-चिकित्सा विज्ञान) के पद के लिए एक रिक्ति (अनारक्षित-01)। यह रिक्ति बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) की श्रेणी से संबंधित जैसे बधिर और ऊंचा सुनने संबंधी अक्षमता अर्थात् ऊंचा सुनने वाले (एचएच), प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात सहित चलने में असमर्थ, कुष्ठरोग उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले से पीड़ित और मांसपेशीय कुपोषण संबंधी अक्षमता अर्थात् दोनों पैर प्रभावित लेकिन हाथ नहीं (बीएल) या एक पैर प्रभावित (दांया या बांया) (ओएल) या कुष्ठ रोग उपचारित (एलसी) या बौनापन (डीडब्ल्यू) या तेजाबी हमले से पीड़ित (एएवी), बहुविध अक्षमताओं (एमडी) अर्थात् उपर्युक्त अक्षमताओं की श्रेणियों में

से कम से कम दो अक्षमताओं वाले उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त है। पद स्थायी है। दिल्ली स्वास्थ्य सेवा, समूह "क" राजपत्रित, अननुसचिवीय। **वेतनमान:** 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल-11+पै.नि.भ.। **आयु :** अनारक्षित के लिए 45 वर्ष। **अनिवार्य योग्यताएं :** (क) **शैक्षिक :** (i) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की प्रथम या द्वितीय अनुसूची या तृतीय अनुसूची के भाग-II में सम्मिलित (लाइसेंसधारी योग्यताओं को छोड़कर) मान्यताप्राप्त एम.बी.बी.एस. योग्यता । तृतीय अनुसूची के भाग-II में सम्मिलित शैक्षिक योग्यता वाले उम्मीदवारों को भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 13 की उप-धारा (3) में निर्धारित शर्तों को भी पूरा करना होगा। (ii) अनुसूची VI के खंड 'क' में उल्लिखित संबंधित विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर डिग्री अर्थात् डी.एम. (हृदय-चिकित्सा विज्ञान)। (ख) : **अनुभव :** प्रथम स्नातकोत्तर डिग्री योग्यता प्राप्त करने के बाद संबंधित विशेषज्ञता में तीन वर्ष का अनुभव। **टिप्पणी-I :** 5 वर्ष की अवधि की डीएम योग्यता धारकों के मामले में, उक्त डीएम के अंतिम भाग में प्रदान की गई वरिष्ठ पीजी रेजीडेंसी की अवधि को अनुभव की आवश्यकता के लिए गिना जाएगा। **टिप्पणी-II :** यूनाइटेड किंगडम में प्रदान की गई योग्यताओं को मेडिकल योग्यताओं के रूप में तभी मान्यताप्राप्त माना जाएगा जब वे 11 नवम्बर, 1978 को या उससे पहले प्रदान की गई हो। **टिप्पणी-III :** उम्मीदवारों के अन्यथा अर्हक होने की स्थिति में कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विवेकानुसार योग्यताओं में छूट दी जा सकती है। **कार्य :** उम्मीदवारों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अस्पतालों में कार्य करना होगा और मुख्यतः इन अस्पतालों में चिकित्सा देखभाल के लिए विभिन्न प्रकार के मरीजों की देखभाल करनी होगी। तथापि, जनसेवा की आकस्मिकता की स्थिति में प्रशासनिक तथा अन्य संबंधित कार्यों सहित उन्हें अन्य कार्य भी सौंपे जा सकते हैं। **मुख्यालय :** दिल्ली। **कोई अन्य शर्त :** सेवा में नियुक्त होने वाले व्यक्ति को किसी भी परामर्शी तथा प्रयोगशाला प्रैक्टिस सहित किसी भी प्रकार की निजी प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं होगी।

10. (रिक्ति सं. 24010110113) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में विशेषज्ञ ग्रेड III (त्वचा विज्ञान) के पद के लिए नौ रिक्तियां (अ.जा.-03, अ.ज.जा.-01, अ.पि.व.-04, अनारक्षित-01)। ये रिक्तियां बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) की श्रेणी से संबंधित जैसे बधिर और ऊंचा सुनने संबंधी अक्षमता अर्थात् ऊंचा सुनने वाले (एचएच), प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात सहित चलने में असमर्थ, कुष्ठरोग उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले से पीड़ित और मांसपेशीय कुपोषण संबंधी अक्षमता अर्थात् दोनों पैर प्रभावित लेकिन हाथ नहीं (बीएल) या एक पैर प्रभावित (दांया या बांया) (ओएल) या कुष्ठ रोग उपचारित (एलसी) या बौनापन (डीडब्ल्यू) या तेजाबी हमले से पीड़ित (एएवी) या बहुविध अक्षमताओं (एमडी) अर्थात् उपर्युक्त अक्षमताओं की श्रेणियों में से कम से कम दो अक्षमताओं वाले उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त हैं। पद स्थायी हैं। दिल्ली स्वास्थ्य सेवा, समूह "क" राजपत्रित, अननुसचिवीय। वेतनमान: 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल-11+प्रै.नि.भ.। आयु: अ.जा./अ.ज.जा. के लिए 50 वर्ष, अ.पि.व. के लिए 48 वर्ष और अनारक्षित के लिए 45 वर्ष। अनिवार्य योग्यताएं : (क) शैक्षिक : (i) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की प्रथम या द्वितीय अनुसूची या तृतीय अनुसूची के भाग-II में सम्मिलित (लाइसेंसधारी योग्यताओं को छोड़कर) मान्यताप्राप्त एम.बी.बी.एस. योग्यता। तृतीय अनुसूची के भाग-II में सम्मिलित शैक्षिक योग्यता वाले उम्मीदवारों को भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 13 की उप-धारा (3) में निर्धारित शर्तों को भी पूरा करना होगा। (ii) अनुसूची VI के खंड 'क' में उल्लिखित संबंधित विशेषज्ञता या सुपर स्पेशलिटी में स्नातकोत्तर डिग्री / डिप्लोमा या समकक्ष अर्थात् एम.डी. (त्वचा विज्ञान) / एम.डी. (त्वचा विज्ञान और रतिज रोग) / त्वचा विज्ञान में डिप्लोमा के साथ चिकित्सा में एम.डी. / त्वचा विज्ञान में डिप्लोमा (डी.डी.)। (ख) : अनुभव : प्रथम स्नातकोत्तर डिग्री योग्यता प्राप्त करने के बाद संबंधित विशेषज्ञता में तीन वर्ष का अनुभव या प्रथम स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त करने के पश्चात् पांच वर्ष का अनुभव। टिप्पणी-I : यूनाइटेड किंगडम में प्रदान की गई योग्यताओं को मेडिकल योग्यताओं के रूप में तभी मान्यताप्राप्त माना जाएगा जब वे 11 नवम्बर, 1978 को या उससे पहले प्रदान की गई हो।

टिप्पणी-II : उम्मीदवारों के अन्यथा अर्हक होने की स्थिति में कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विवेकानुसार योग्यताओं में छूट दी जा सकती है। **टिप्पणी-III :** अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में यदि चयन के किसी भी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग का यह मत है कि इस समुदाय से उनके लिए आरक्षित पद को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो इन कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुभव संबंधी योग्यताओं में छूट दी जा सकती है। **कार्य :** उम्मीदवारों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अस्पतालों में कार्य करना होगा और मुख्यतः इन अस्पतालों में चिकित्सा देखभाल के लिए विभिन्न प्रकार के मरीजों की देखभाल करनी होगी। तथापि, जनसेवा की आकस्मिकता की स्थिति में प्रशासनिक तथा अन्य संबंधित कार्यों सहित उन्हें अन्य कार्य भी सौंपे जा सकते हैं। **मुख्यालय :** दिल्ली। **कोई अन्य शर्त :** (i) सेवा में नियुक्त होने वाले व्यक्ति को किसी भी परामर्शी तथा प्रयोगशाला प्रैक्टिस सहित किसी भी प्रकार की निजी प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं होगी। (ii) उम्मीदवारों को अ.पि.व. श्रेणी के तहत आरक्षण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी अ.पि.व. प्रमाण पत्र जमा करने पर ही प्रदान किया जाएगा । अन्य राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा जारी अ.पि.व. प्रमाण पत्र जमा करने वाले उम्मीदवारों को सामान्य / अनारक्षित रिक्तियों के संबंध में सामान्य / अनारक्षित उम्मीदवारों के रूप में विचार किया जाएगा।

11. (रिक्ति सं. 24010111113) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में विशेषज्ञ ग्रेड III (सामान्य चिकित्सा) के पद के लिए सैंतीस रिक्तियां (अ.जा.-05, अ.ज.जा.-04, अ.पि.व.-16, ईडब्ल्यूएस-02, अनारक्षित-10)। (पीडब्ल्यूबीडी-01)*। *सैंतीस रिक्तियों में से, एक रिक्ति बेंचमार्क दिव्यांगता (पीडब्ल्यूबीडी) की श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों जैसे बधिर तथा ऊंचा सुनने संबंधी अक्षमता अर्थात् ऊंचा सुनने वाले (एचएच) प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात सहित चलने में असमर्थ, कुष्ठरोग उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले से पीड़ित और मांसपेशीय कुपोषण संबंधी अक्षमता अर्थात् दोनों पैर

प्रभावित लेकिन हाथ नहीं (बीएल), या एक पैर प्रभावित (दांया या बांया) (ओएल) या कुष्ठरोग उपचारित (एलसी) या बौनापन (डीडब्ल्यू), या तेजाबी हमले से पीड़ित (एएवी), या मांसपेशीय कुपोषण (एमडीवाई) से संबंधित उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। ये रिक्तियां बेंचमार्क दिव्यांगता (पीडब्ल्यूबीडी) की श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों जैसे प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात सहित चलने में असमर्थ, कुष्ठरोग उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले से पीड़ित और मांसपेशीय कुपोषण संबंधी अक्षमता अर्थात् दोनों पैर प्रभावित लेकिन हाथ नहीं (बीएल), या एक पैर प्रभावित (दांया या बांया) (ओएल) या कुष्ठरोग उपचारित (एलसी) या बौनापन (डीडब्ल्यू), या तेजाबी हमले से पीड़ित (एएवी), या मांसपेशीय कुपोषण (एमडीवाई) या बहुविध अक्षमताओं (एमडी) अर्थात् उपर्युक्त अक्षमताओं की श्रेणियों में से कम से कम दो अक्षमताओं वाले उम्मीदवारों के लिए भी उपयुक्त हैं। पद स्थायी है। दिल्ली स्वास्थ्य सेवा, समूह "क" राजपत्रित, अननुसचिवीय।

वेतनमान: 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल-11+प्रे.नि.भ.। **आयु:** अ.जा./अ.ज.जा. के लिए 50 वर्ष, अ.पि.व. के लिए 48 वर्ष और ईडब्ल्यूएस/अनारक्षित के लिए 45 वर्ष। **अनिवार्य योग्यताएं :** (क) **शैक्षिक :**

(i) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की प्रथम या द्वितीय अनुसूची या तृतीय अनुसूची के भाग-II में सम्मिलित (लाइसेंसधारी योग्यताओं को छोड़कर) मान्यताप्राप्त एम.बी.बी.एस. योग्यता। तृतीय अनुसूची के भाग-II में सम्मिलित शैक्षिक योग्यता वाले उम्मीदवारों को भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 13 की उप-धारा (3) में निर्धारित शर्तों को भी पूरा करना होगा । (ii) अनुसूची VI के खंड 'क' में उल्लिखित संबंधित विशेषज्ञता स्नातकोत्तर डिग्री या समकक्ष अर्थात् डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (मेडिसिन); या डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (सामान्य चिकित्सा)। (ख) : **अनुभव :** प्रथम स्नातकोत्तर डिग्री योग्यता प्राप्त करने के बाद संबंधित विशेषज्ञता में तीन वर्ष का अनुभव।

टिप्पणी-I : यूनाइटेड किंगडम में प्रदान की गई योग्यताओं को मेडिकल योग्यताओं के रूप में तभी मान्यताप्राप्त माना जाएगा जब वे 11 नवम्बर, 1978 को या उससे पहले प्रदान की गई हो। **टिप्पणी-II :** उम्मीदवारों के अन्यथा अर्हक होने की स्थिति में कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विवेकानुसार योग्यताओं में छूट दी जा सकती है।

टिप्पणी-III : अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में यदि चयन के किसी भी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग का यह मत है कि इस समुदाय से उनके लिए आरक्षित पद को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो इन कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुभव संबंधी योग्यताओं में छूट दी जा सकती है।
कार्य : उम्मीदवारों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अस्पतालों में कार्य करना होगा और मुख्यतः इन अस्पतालों में चिकित्सा देखभाल के लिए विभिन्न प्रकार के मरीजों की देखभाल करनी होगी। तथापि, जनसेवा की आकस्मिकता की स्थिति में प्रशासनिक तथा अन्य संबंधित कार्यों सहित उन्हें अन्य कार्य भी सौंपे जा सकते हैं।
मुख्यालय : दिल्ली।
कोई अन्य शर्त : (i) सेवा में नियुक्त होने वाले व्यक्ति को किसी भी परामर्शी तथा प्रयोगशाला प्रैक्टिस सहित किसी भी प्रकार की निजी प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं होगी।
(ii) उम्मीदवारों को अ.पि.व. श्रेणी के तहत आरक्षण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी अ.पि.व. प्रमाण पत्र जमा करने पर ही प्रदान किया जाएगा । अन्य राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा जारी अ.पि.व. प्रमाण पत्र जमा करने वाले उम्मीदवारों को सामान्य / अनारक्षित रिक्तियों के संबंध में सामान्य / अनारक्षित उम्मीदवारों के रूप में विचार किया जाएगा।

12. (रिक्ति सं. 24010112113) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में विशेषज्ञ ग्रेड III (प्रसूति एवं स्त्री रोग) के पद के लिए तीस रिक्तियां (अ.जा.-01, अ.ज.जा.-02, अ.पि.व.-11, ईडब्ल्यूएस-03, अनारक्षित-13)। (पीडब्ल्यूबीडी-01)*। *तीस रिक्तियों में से, एक रिक्ति बेंचमार्क दिव्यांगता (पीडब्ल्यूबीडी) की श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों जैसे प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात सहित चलने में असमर्थ, कुष्ठरोग उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले से पीड़ित और मांसपेशीय कुपोषण संबंधी अक्षमता अर्थात् दोनों पैर प्रभावित लेकिन हाथ नहीं (बीएल), या एक पैर प्रभावित (दांया या बांया) (ओएल) या कुष्ठरोग उपचारित (एलसी) या बौनापन (डीडब्ल्यू) से संबंधित उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। ये रिक्तियां बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों

(पीडब्ल्यूबीडी) की श्रेणी से संबंधित जैसे बधिर और ऊंचा सुनने संबंधी अक्षमता अर्थात् ऊंचा सुनने वाले (एचएच), प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात सहित चलने में असमर्थ, कुष्ठरोग उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले से पीड़ित और मांसपेशीय कुपोषण संबंधी अक्षमता अर्थात् दोनों पैर प्रभावित लेकिन हाथ नहीं (बीएल), या एक पैर प्रभावित (दांया या बांया) (ओएल) या कुष्ठरोग उपचारित (एलसी) या बौनापन (डीडब्ल्यू) या बहुविध अक्षमताओं (एमडी) अर्थात् उपर्युक्त अक्षमताओं की श्रेणियों में से कम से कम दो अक्षमताओं वाले उम्मीदवारों के लिए भी उपयुक्त हैं। पद स्थायी है। दिल्ली स्वास्थ्य सेवा, समूह "क" राजपत्रित, अननुसचिवीय। वेतनमान: 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल-11+पै.नि.भ.। आयु: अ.जा./अ.ज.जा. के लिए 50 वर्ष, अ.पि.व. के लिए 48 वर्ष और ईडब्ल्यूएस/अनारक्षित के लिए 45 वर्ष। अनिवार्य योग्यताएं : (क) शैक्षिक : (i) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की प्रथम या द्वितीय अनुसूची या तृतीय अनुसूची के भाग-II में सम्मिलित (लाइसेंसधारी योग्यताओं को छोड़कर) मान्यताप्राप्त एम.बी.बी.एस. योग्यता। तृतीय अनुसूची के भाग-II में सम्मिलित शैक्षिक योग्यता वाले उम्मीदवारों को भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 13 की उप-धारा (3) में निर्धारित शर्तों को भी पूरा करना होगा । (ii) अनुसूची VI के खंड 'क' या खंड 'ख' में उल्लिखित संबंधित विशेषज्ञता स्नातकोत्तर डिग्री या समकक्ष अर्थात् डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (प्रसूति एवं स्त्री रोग); या मास्टर ऑफ सर्जरी (प्रसूति एवं स्त्री रोग); या स्त्री रोग एवं प्रसूति विज्ञान में डिप्लोमा (डी.जी.ओ.)। (ख) : अनुभव : प्रथम स्नातकोत्तर डिग्री योग्यता प्राप्त करने के बाद संबंधित विशेषज्ञता में तीन वर्ष का अनुभव या स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त करने के पश्चात पांच वर्ष का अनुभव। टिप्पणी-I : यूनाइटेड किंगडम में प्रदान की गई योग्यताओं को मेडिकल योग्यताओं के रूप में तभी मान्यताप्राप्त माना जाएगा जब वे 11 नवम्बर, 1978 को या उससे पहले प्रदान की गई हो। टिप्पणी-II : उम्मीदवारों के अन्यथा अर्हक होने की स्थिति में कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विवेकानुसार योग्यताओं में छूट दी जा सकती है। टिप्पणी-III : अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में यदि चयन के किसी भी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग का यह

मत है कि इस समुदाय से उनके लिए आरक्षित पद को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो इन कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुभव संबंधी योग्यताओं में छूट दी जा सकती है।

कार्य : उम्मीदवारों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अस्पतालों में कार्य करना होगा और मुख्यतः इन अस्पतालों में चिकित्सा देखभाल के लिए विभिन्न प्रकार के मरीजों की देखभाल करनी होगी। तथापि, जनसेवा की आकस्मिकता की स्थिति में प्रशासनिक तथा अन्य संबंधित कार्यों सहित उन्हें अन्य कार्य भी सौंपे जा सकते हैं।

मुख्यालय : दिल्ली। **कोई अन्य शर्त :** (i) सेवा में नियुक्त होने वाले व्यक्ति को किसी भी परामर्शी तथा प्रयोगशाला प्रैक्टिस सहित किसी भी प्रकार की निजी प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं होगी।

(ii) उम्मीदवारों को अ.पि.व. श्रेणी के तहत आरक्षण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी अ.पि.व. प्रमाण पत्र जमा करने पर ही प्रदान किया जाएगा । अन्य राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा जारी अ.पि.व. प्रमाण पत्र जमा करने वाले उम्मीदवारों को सामान्य / अनारक्षित रिक्तियों के संबंध में सामान्य / अनारक्षित उम्मीदवारों के रूप में विचार किया जाएगा।

(महत्वपूर्ण)

उपर्युक्त पदों के लिए वेबसाइट <https://www.upsconline.nic.in> के माध्यम से चयन द्वारा सीधी भर्ती हेतु दिनांक **13-01-2024** से ऑन-लाइन भर्ती आवेदन (ओ.आर.ए.) आमंत्रित किए जाते हैं।

ओ.आर.ए. वेबसाइट के माध्यम से ऑन-लाइन भर्ती आवेदन पत्र (ओ.आर.ए.) जमा करने की अंतिम तिथि **01.02.2024 को 23.59 बजे तक** है।

पूर्ण रूप से ऑन-लाइन जमा किए गए आवेदन पत्र का प्रिंट लेने की अंतिम तिथि **02.02.2024 को 23.59 बजे तक** है।

सभी उम्मीदवारों की हर तरह से पात्रता निर्धारित करने की अंतिम तिथि ऑन-लाइन भर्ती आवेदन पत्र (ओ.आर.ए.) जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि होगी। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे ऑन-लाइन भर्ती आवेदन पत्र में अपना संपूर्ण विवरण सावधानीपूर्वक भरें क्योंकि गलत विवरण प्रस्तुत करने से आयोग द्वारा उन्हें विवर्जित किए जाने के अलावा कंप्यूटर आधारित शार्टलिस्ट किए जाने की प्रक्रिया के दौरान उनका आवेदन पत्र अस्वीकार किया जा सकता है।

साक्षात्कार की तिथि, जिस दिन शार्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को अपने ऑन-लाइन आवेदन पत्र के प्रिंट आउट सहित अन्य दस्तावेज संघ लोक सेवा आयोग में प्रस्तुत करने होंगे, की सूचना उम्मीदवारों को अलग से दी जाएगी।

***बेंचमार्क दिव्यांगता से प्रभावित व्यक्ति।**

टिप्पणियां :

क) उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे इस विज्ञापन के संबंध में केवल वेबसाइट <https://www.upsconline.nic.in> के माध्यम से ऑन-लाइन भर्ती आवेदन पत्र (ओ.आर.ए.) से ही आवेदन करें और आवेदन प्रपत्र के लिए आयोग को न लिखें। उनसे यह भी अनुरोध है कि वे नीचे प्रकाशित तथा वेबसाइट <https://www.upsconline.nic.in> पर दिए गए पदों के विवरण एवं अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लें।

ख) सभी मर्दों के सामने दर्शायी गई आयु सीमा ईडब्ल्यूएस / अनारक्षित उम्मीदवारों हेतु सामान्य आयु सीमा है तथा अ.जा./अ.ज.जा. उम्मीदवारों को उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के संबंध में 5 वर्ष तथा अ.पि.व. के उम्मीदवारों के लिए 3 वर्ष तक की छूट है। अ.जा./ अ.ज.जा./ अ.पि.व. के उम्मीदवारों को निर्धारित प्रपत्र में जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। अन्य श्रेणियों के आवेदकों के लिए आयु संबंधी छूट के लिए आवेदक कृपया “चयन द्वारा भर्ती हेतु उम्मीदवारों के लिए अनुदेश तथा अतिरिक्त सूचना” के संगत पैरा देखें।

ग) कोई उम्मीदवार सामुदायिक आरक्षण का लाभ पाने का पात्र केवल तभी होगा यदि उम्मीदवार की जाति, जिससे वह संबंधित है, को केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई आरक्षित समुदाय की सूची में शामिल किया गया हो। यदि कोई उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र में यह अभिलेखबद्ध करता/करती है कि वह अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./ सामान्य श्रेणी से संबंधित है लेकिन बाद में आयोग को अपनी श्रेणी को बदलने के लिए अनुरोध करता/करती है तो ऐसे अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

घ) बेंचमार्क दिव्यांगता से प्रभावित व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी), रिक्ति विवरण के विभिन्न मद (मर्दों) के सामने दर्शाए अनुसार, उन संगत पदों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, जो उनके लिए आरक्षित नहीं हैं, किन्तु उपयुक्त समझे गए हैं। तथापि, ऐसे उम्मीदवारों के बारे में इन पदों पर चयन हेतु विचार योग्यता के सामान्य मानकों के अनुसार किया जाएगा। कम से कम 40% संगत अक्षमता वाले व्यक्ति ही नियमों के अंतर्गत अनुमेय, आरक्षण तथा अन्य छूटों का लाभ पाने के पात्र माने जाएंगे। अतः बेंचमार्क दिव्यांगता से प्रभावित व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी) निम्नलिखित का लाभ उठा सकते हैं :

(i) नियमों के अंतर्गत मिलने वाला आरक्षण तथा अन्य रियायतें और छूट केवल तभी स्वीकार्य होंगे, जब शारीरिक अक्षमता 40 % या इससे अधिक हो और पद पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हों।

(ii) नियमों के अंतर्गत मिलने वाली अन्य रियायतें तथा छूट केवल तभी स्वीकार्य होंगी जब शारीरिक अक्षमता 40% या उससे अधिक हो और पद पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त हों।

ड) ऐसे मामलों में, जहां विशेष रूप से आरक्षित और उनके लिए उपयुक्त निर्धारित पदों के लिए साक्षात्कार के लिए पर्याप्त संख्या में पात्र, शारीरिक रूप से दिव्यांग उम्मीदवार (पीडब्ल्यूबीडी) उपलब्ध नहीं हैं, तो अनुभव योग्यताओं में (50% तक) छूट दी जा सकती है ताकि निर्धारित मानदंडों के अनुसार पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार उपलब्ध हो सकें। यह अनुभव के वर्ष पर लागू होता है न कि अनुभव की प्रकृति पर।

च) **मुख्यालय** : कुछ पदों के सामने विशेष रूप से उल्लिखित स्थानों पर, अन्यथा भारत में कहीं भी।

छ) **परिवीक्षा** : चयनित व्यक्तियों को नियमानुसार परिवीक्षाधीन नियुक्त किया जाएगा।

हिन्दी और अंग्रेजी में किसी अर्थ भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

चयन द्वारा भर्ती के लिए उम्मीदवारों को अनुदेश और अतिरिक्त सूचनाएं :

1. नागरिकता

उम्मीदवार अनिवार्यतः या तो :-

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) नेपाल की प्रजा हो, या

(ग) भूटान की प्रजा हो, या

(घ) भारत में स्थायी निवास करने के इरादे से 1 जनवरी 1962 से पहले भारत आया हुआ तिब्बती शरणार्थी हो, या

(ङ) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति जो भारत में स्थायी निवास के इरादे से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या पूर्वी अफ्रीकी देशों जैसे केन्या, युगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया (पूर्व में टंगानिका और जंजीबार), जाम्बिया, मलावी, जायरे, इथियोपिया और वियतनाम से प्रवर्जन कर आया हो। किन्तु शर्त यह है कि उपर्युक्त श्रेणी (ख), (ग), (घ) और (ङ) से सम्बद्ध उम्मीदवार के पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

टिप्पणी जिस उम्मीदवार के मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक है, आयोग द्वारा उसके आवेदन-पत्र पर विचार किया जा सकता है और नियुक्ति के लिए अनुशंसा किए जाने पर उसे अनंतिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है बशर्ते कि भारत सरकार उसे आवश्यक प्रमाण-पत्र जारी कर दे।

2. आयु सीमाएं : इस पद के लिए आयु सीमा का उल्लेख उक्त विज्ञापन में किया गया है, विभिन्न श्रेणियों के लिए स्वीकार्य आयु संबंधी कतिपय रियायत के लिए कृपया छूट तथा रियायत संबंधी अनुदेश देखें।

3. न्यूनतम आवश्यक योग्यताएं : सभी आवेदकों को विज्ञापन में विनिर्दिष्ट पद से संबंधित अनिवार्य अपेक्षाओं और अन्य शर्तों को अनिवार्यतः पूरा करना होगा। उन्हें सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पूर्व वे यह संतुष्टि कर लें कि वे विभिन्न पदों के लिए निर्धारित कम से कम अनिवार्य योग्यताओं को पूरा करते हों। पात्रता के संबंध में सलाह देने संबंधी किसी भी पूछताछ पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

टिप्पणी-I : निर्धारित अनिवार्य योग्यताएं न्यूनतम हैं और केवल इन योग्यताओं को पूरा कर लेने से ही उम्मीदवार साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने के हकदार नहीं हो जाते।

टिप्पणी-II : प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या अधिक होने पर, आयोग निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक तरीकों से साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को उपयुक्त सीमा तक कम कर सकता है :

(क) “वांछनीय योग्यता (वा.यो.) या किसी एक या सभी वांछनीय योग्यताओं के आधार पर यदि एक से अधिक वां.यो. निर्धारित है”।

- (ख) विज्ञापन में निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं की अपेक्षा उच्चतर शैक्षिक योग्यता के आधार पर।
- (ग) विज्ञापन में निर्धारित संगत क्षेत्र में न्यूनतम अनुभव की अपेक्षा अधिक अनुभव के आधार पर।
- (घ) अनिवार्य योग्यताएं प्राप्त करने के पहले या बाद के अनुभव को जोड़कर।
- (ङ) ऐसे मामलों में भी अनुभव को शामिल करके जिनमें अनिवार्य योग्यता (अ.यो.) या वांछनीय योग्यता (वा.यो.) के लिए कोई अनुभव उल्लिखित नहीं है।
- (च) भर्ती परीक्षा आयोजित करते समय अंतिम योग्यता निर्धारित करने में भर्ती परीक्षा के अंकों और साक्षात्कार के अंकों के लिए आम तौर पर वेटेज 75:25 के अनुपात में दिया जाता है।

इसलिए उम्मीदवारों को चाहिए कि वे संगत क्षेत्र में न्यूनतम शैक्षिक अर्हता से अधिक जो भी योग्यताएं तथा अनुभव रखते हों, उन सभी का उल्लेख करें।

टिप्पणी-III :-

महत्वपूर्ण
(i) चयन चाहे केवल साक्षात्कार द्वारा या भर्ती परीक्षा के बाद साक्षात्कार द्वारा किया जाए, साक्षात्कार के लिए उपयुक्तता का श्रेणीवार न्यूनतम स्तर साक्षात्कार के कुल 100 अंकों में से अना./ई.डब्ल्यू.एस.-50 अंक, अ.पि.व.-45 अंक, अ.जा. / अ.ज.जा. / पीडब्ल्यूबीडी-40 अंक होगा।
(ii) जिन मामलों में भर्ती परीक्षा (आरटी) के बाद साक्षात्कार द्वारा चयन किया जाता है उनमें उम्मीदवार को दोनों चरणों, अर्थात् 'भर्ती परीक्षा' के साथ-साथ 'साक्षात्कार' में भी अपनी संबंधित श्रेणी में उपयुक्तता का न्यूनतम स्तर प्राप्त करना होगा।

4. आवेदन शुल्क:

(क) उम्मीदवार (महिला / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / बेंचमार्क दिव्यांग उम्मीदवारों को छोड़कर जिन्हें शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है) शुल्क के रूप में 25/-रु. (पच्चीस रूपए) की राशि एसबीआई की किसी भी शाखा में नकद रूप में या किसी भी बैंक की नेट बैंकिंग सुविधा के इस्तेमाल से या वीजा / मास्टर / रुपये / क्रेडिट / डेबिट कार्ड / यूपीआई भुगतान के माध्यम से जमा करा सकते हैं।

(ख) अ.जा./अ.ज.जा./पीडब्ल्यूबीडी/किसी भी समुदाय की महिला उम्मीदवारों को कोई शुल्क देय नहीं होगा। सामान्य/अ.पि.व./आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) के पुरुष

उम्मीदवारों को शुल्क में कोई छूट नहीं होगी और उन्हें निर्धारित पूरा शुल्क अदा करना होगा।

(ग) निर्धारित शुल्क न दिए जाने पर किसी भी आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा और उसे तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा। इस प्रकार के निरसन के विरुद्ध किसी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

(घ) एक बार अदा किए गए शुल्क को किसी भी परिस्थिति में वापिस नहीं लौटाया जाएगा और न ही किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए सुरक्षित रखा जाएगा।

5. रियायत और छूट :

(क) आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों (ईसीओ)/अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों (एसएससीओ) सहित भूतपूर्व सैनिकों और कमीशन प्राप्त अधिकारियों के मामले में ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जाएगी बशर्ते कि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को भूतपूर्व सैनिक द्वारा अनुप्रमाणन के बाद सशस्त्र सेना में की गई लगातार सेवा 6 माह से कम न हो। यह छूट ऐसे आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों/ अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को भी प्राप्त है जिन्होंने मिलिट्री सेवा में 5 वर्ष की प्रारंभिक तैनाती अवधि पूरी कर ली है और जिनकी तैनाती अंतिम तिथि को 5 वर्ष से और आगे बढ़ा दी गई है तथा जिनके मामलों में रक्षा मंत्रालय यह प्रमाण-पत्र जारी कर देता है कि चयन हो जाने के बाद नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि से 3 महीने के भीतर उन्हें कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। इस पैरे के अंतर्गत छूट का दावा करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित प्रपत्र में आयोग को एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

टिप्पणी : केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी सिविल पद पर पहले से नियमित रोजगार प्राप्त भूतपूर्व सैनिकों को, केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी उच्चतर पद पर अथवा सेवा में कोई दूसरा रोजगार प्राप्त करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों को यथा स्वीकार्य आयु सीमा में छूट का लाभ प्राप्त करने की अनुमति है। तथापि, ऐसे उम्मीदवार केन्द्रीय सरकार की नौकरियों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण का लाभ, यदि कोई हो, पाने के पात्र नहीं होंगे।

(ख) उपर्युक्त (क) के तहत रियायत हेतु पात्र होने के लिए संबंधित उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्रों के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उन्हें रक्षा सेवाओं से मुक्त कर दिया गया है। ई.सी.ओ./एस.एस.सी.ओ. सहित भूतपूर्व सैनिक तथा कमीशन प्राप्त अधिकारियों के प्रमाण-पत्रों पर नीचे दर्शाए गए समुचित अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और रक्षा सेवाओं में उनकी सेवा अवधि का भी अभिलेखबद्ध किया जाना चाहिए:-

(i) ई.सी.ओ./एस.एस.सी.ओ. सहित कमीशन प्राप्त अधिकारियों के मामले में :-

सेना : कार्मिक सेवा निदेशालय, सेना मुख्यालय, नई दिल्ली।

नौसेना : कार्मिक सेवा निदेशालय, नौसेना मुख्यालय, नई दिल्ली।

वायु सेना : कार्मिक सेवा निदेशालय, वायु सेना मुख्यालय, नई दिल्ली।

(ii) नौसेना तथा वायु सेना के जूनियर कमीशन अधिकारी/अन्य रैंकों तथा समकक्ष पद के मामले में:-

सेना : विभिन्न रेजिमेंटों के रिकार्ड कार्यालयों द्वारा।

नौसेना : नौसेना रिकार्ड, मुंबई।

वायु सेना : वायु सेना रिकार्ड, नई दिल्ली।

(ग) **केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आयु में छूट :**

भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार केन्द्र/संघ शासित सरकार के कर्मचारियों को ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट है। (इसका अर्थ यह है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को अधिकतम 10 वर्ष की आयु सीमा में छूट है जिसमें आयु में 5 वर्ष की छूट उनकी संबंधित श्रेणियों से है। उसी प्रकार, अ.पि.व. के व्यक्तियों को अधिकतम 8 वर्ष की छूट है जिसमें अ.पि.व. के लिए आयु में 3 वर्ष की छूट शामिल है)। यह छूट केंद्र सरकार में 3 साल की निरंतर सेवा और उसी पद या संबद्ध कैडर में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य होगी और जहां यह स्थापित किया जा सकता है कि उस विशेष पद पर पहले से प्रदान की गई सेवा जिस पद पर भर्ती की जा रही है, उसके कर्तव्यों का कुशल निर्वहन करने के लिए उपयोगी होगी। इससे संबंधित निर्णय आयोग का होगा। उम्मीदवार जो केंद्र सरकार के कर्मचारी की श्रेणी से संबंधित होने का दावा करता है और इस प्रकार इस पैरा के तहत आयु में छूट की मांग करता है, उसे कार्यालय के लेटर हेड पर अपने नियोक्ता से **विज्ञापन की तिथि के बाद जारी किए गए** निर्धारित प्रोफार्मा में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी कि वह नियमित रूप से नियुक्त केंद्र सरकार का कर्मचारी है और कैजुअल/तदर्थ/दैनिक मजदूरी/प्रति घंटा भुगतान/अनुबंध के आधार पर नियुक्त कर्मचारी नहीं है।

(घ) **बैंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) के लिए आयु सीमा में छूट :**

(i) केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत (क) दृष्टिहीन और अल्पदृष्टि (ख) बधिर और ऊंचा सुनने वाले (ग) प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात सहित चलने में असमर्थ, कुष्ठ रोग उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले के पीड़ित तथा मांसपेशीय कुपोषण (घ) ऑटिज़्म, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट लर्निंग अक्षमता तथा मानसिक रोग, (ङ) प्रत्येक दिव्यांगता के लिए चिह्नित पदों में बधिर-

दृष्टिहीन सहित खंड (क) से (घ) के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों में से एकाधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त रूप से चिन्हित किए गए सभी सिविल पदों/सेवाओं पर सीधी भर्ती के मामले में ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट (अ.जा./अ.ज.जा. उम्मीदवारों के लिए अधिकतम 15 वर्ष की छूट जिसमें 5 वर्ष की छूट का अभिप्राय उनसे संबंधित श्रेणियों के लिए है। इसी प्रकार अ.पि.व. उम्मीदवारों के लिए 13 वर्ष की छूट दी जाएगी जिसमें अ.पि.व. उम्मीदवार के लिए आयु में 3 वर्ष की छूट का अभिप्राय शामिल है), जो इस शर्त के अध्यक्षीन दी जाएगी कि अंतिम तिथि को आवेदक की आयु 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पद आरक्षित हो या नहीं, दोनों ही स्थिति में, दिव्यांग व्यक्तियों को आयु में छूट अनुमेय है, बशर्तें संबंधित पद दिव्यांगता की संगत श्रेणी के लिए उपयुक्त रूप से चिन्हित किया गया है।

- (ii) न्यूनतम 40% अशक्तता वाले उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट अनुमेय होगी।
- (iii) ऐसे अशक्त उम्मीदवार जो केन्द्रीय सरकार का कर्मचारी होने के कारण आयु में छूट के हकदार हैं, उन्हें 'अशक्त उम्मीदवार' या 'केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी' जो भी उनके लिए अधिक लाभदायक हो, के रूप में ही रियायत मिलेगी।
- (iv) ऐसे पद/सेवा के लिए उक्त प्रावधान लागू नहीं होंगे जिनमें अधिसूचना द्वारा आयु में छूट के लिए अन्य विशिष्ट प्रावधान किया गया हो।
- (v) आयु में छूट के प्रयोजनार्थ दिव्यांगता की विभिन्न श्रेणियों की परिभाषा "दिव्यांग अधिकार अधिनियम (आरपीडब्ल्यूडी), 2016" अधिनियम की अनुसूची {धारा-2 का खण्ड(22)} के अनुसार होगी।

(ड) बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) के लिए आरटी/सीबीआरटी में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए स्क्राइब की सुविधा:

दृष्टिहीन, चलने में असमर्थ (दोनों हाथ प्रभावित-बीए) और प्रमस्तष्कीय पक्षाघात की श्रेणियों में बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों को यदि उसकी इच्छा हो तो स्क्राइब की सुविधा प्रदान की जाएगी। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (आरपीडब्ल्यूडी), 2016 की धारा 2 (द) के तहत यथापरिभाषित बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों की अन्य श्रेणियों के मामले में उन्हें स्क्राइब की सुविधा आयोग की वेबसाइट पर भर्ती खंड (प्रमाणपत्र हेतु www.upsc.gov.in/recruitment/forms) में दिए गए प्रमाणपत्र प्रपत्र में सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर दिया जाएगा कि संबंधित व्यक्ति के पास लिखने की शारीरिक सीमा है और उसकी ओर से लिखने हेतु स्क्राइब की सुविधा होना आवश्यक है, उम्मीदवार के पास अपना स्क्राइब लाने या फिर उसके लिए आयोग से अनुरोध करने का विकल्प होगा। स्क्राइब का विवरण अर्थात् स्क्राइब उम्मीदवार या फिर आयोग की ओर से है तथा स्क्राइब का विवरण (यदि स्क्राइब उम्मीदवार द्वारा लाया जा रहा है), ऑन-लाइन भरते

समय मांगा जाएगा। स्क्राइब की योग्यता पद के लिए अपेक्षित न्यूनतम योग्यता से अधिक नहीं होनी चाहिए।

6. (क) आवेदन किस प्रकार करें :

(i) उम्मीदवार अनिवार्यतः वेबसाइट <https://www.upsconline.nic.in> के माध्यम से ही ऑनलाइन आवेदन करें। किसी अन्य माध्यम द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा और सरसरी तौर पर रद्द कर दिया जाएगा।

(ii) उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावे के अनुसार अपनी जन्म-तिथि, अनुभव (विशेष रूप से निर्धारित प्रपत्र में), वांछनीय योग्यता (योग्यताओं) या अन्य किसी भी जानकारी के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों को सिंगल पीडीएफ फाइल में इस प्रकार अपलोड करना होगा कि फाइल का आकार संबंधित उपर्युक्त मॉड्यूल के लिए 1 एमबी से अधिक तथा "अपलोड अन्य दस्तावेज" के लिए 2 एमबी से अधिक नहीं होना चाहिए और उसका प्रिंटआउट निकाल कर पढ़ा जा सके। इस प्रयोजनार्थ, उम्मीदवार को निम्नलिखित दस्तावेज/प्रमाण-पत्र 200 डीपीआई ग्रे स्केल में स्कैन करने होंगे। वेतन पर्ची, जीवन-वृत्त, नियुक्ति आदेश, कार्य-मुक्ति पत्र, अहस्ताक्षरित अनुभव प्रमाण-पत्र, आदि दस्तावेजों को डॉक्यूमेंट अपलोड मॉड्यूल में हरगिज अपलोड नहीं किया जाना चाहिए :-

(क) मैट्रिकुलेशन/10वीं स्तर या समकक्ष प्रमाण-पत्र जिसमें जन्मतिथि दर्शाई गई हो, या मैट्रिकुलेशन/10वीं स्तर की अंकतालिका या केन्द्र/राज्य बोर्ड द्वारा जारी किया गया समकक्ष प्रमाण-पत्र, जिसमें उनकी आयु के दावे के समर्थन में जन्मतिथि दर्शाई गई हो। जहां संबंधित शैक्षिक बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र/अंकतालिका में जन्म की तिथि का अभिलेखबद्धन किया गया हो, उन मामलों में विद्यालय छोड़ने संबंधी प्रमाण-पत्र में दर्शाई गई जन्म की तिथि (तमिलनाडु और केरल के मामले में) पर विचार किया जाएगा।

(ख) दावा की गई शैक्षिक योग्यताओं के प्रमाण के रूप में डिग्री/डिप्लोमा प्रमाण-पत्र। डिग्री/डिप्लोमा प्रमाणपत्र जमा न किए जाने की स्थिति में, सभी शैक्षिक वर्षों की अंकतालिकाओं के साथ अनंतिम प्रमाण-पत्र स्वीकार्य होगा।

(ग) अनिवार्य योग्यताओं के समकक्ष खंड के संबंध में यदि कोई उम्मीदवार यह दावा करता है कि कोई विशिष्ट योग्यता विज्ञापन के अनुसार अपेक्षित अनिवार्य योग्यता के समकक्ष है तो उम्मीदवार को उस प्राधिकरण के बारे में बताते हुए उस आदेश/पत्र की प्रति (संख्या तथा तिथि सहित) संलग्न करनी होगी जिसके अंतर्गत इसे उस रूप में स्वीकार किया गया हो।

(घ) दावा किए गए समग्र अनुभव के लिए निर्धारित प्रपत्र में संगठन (संगठनों)/विभाग (विभागों) के अध्यक्ष (अध्यक्षों) द्वारा दिए गए प्रमाण-पत्र, जिनमें स्पष्ट रूप से रोजगार की अवधि (तिथि, मास तथा वर्ष), मूल वेतन तथा समेकित वेतन का अभिलेखबद्धकिया गया हो, की स्व-प्रमाणित प्रतियां। इस प्रमाण-पत्र (प्रमाण-पत्रों) में उक्त पद (पदों) पर किए गए कार्यों

का स्वरूप/प्राप्त किए गए अनुभव की अवधि (अवधियों) का अभिलेखबद्ध भी किया जाना चाहिए। अनुभव प्रमाण-पत्र, पद से संगत निर्धारित प्रपत्र में जारी किया जाना चाहिए। यदि अनुभव संबंधी कोई प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में नहीं है लेकिन उसमें ऊपर दिए गए सभी विवरण शामिल हैं, तो आयोग उस पर गुण-दोष के आधार पर विचार करेगा।

(ड) अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. की हैसियत से आरक्षण का लाभ चाहने वाले उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रपत्र में जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें स्पष्ट रूप से उम्मीदवार की जाति, उस अधिनियम/आदेश का अभिलेखबद्ध किया गया हो जिसके अंतर्गत उसकी जाति को अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के रूप में मान्यता प्रदान की गई हो तथा उस गांव/शहर का नाम जहां वह सामान्यतः निवास कर रहा है।

(च) अ.पि.व. के रूप में आरक्षण का लाभ चाहने वाले उम्मीदवार को समुदाय प्रमाण-पत्र (अ.पि.व.) के अलावा निर्धारित प्रपत्र में यह घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि वह निर्णायक तिथि को 'क्रीमी लेयर' में शामिल नहीं है। जब तक अन्यथा अभिलेखबद्ध किया गया हो, पद के लिए ऑनलाइन भर्ती आवेदन प्राप्ति की निर्धारित अंतिम तिथि निर्णायक तिथि मानी जाएगी।

(छ) चिकित्सा स्वस्थता के निर्धारित मानदण्डों के आधार पर पद पर नियुक्ति के लिए पात्र शारीरिक रूप से दिव्यांग उम्मीदवारों (पीडब्ल्यूबीडी) को निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारी से तात्पर्य चिकित्सा बोर्ड से है जो केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से गठित किया गया हो। केन्द्र/राज्य सरकार कम से कम तीन सदस्यों वाले एक चिकित्सा बोर्ड का गठन करेगा जिनमें से कम से कम एक सदस्य चलने/प्रमस्तिष्कीय/दृष्टि/श्रवण अक्षमता, जैसा भी मामला हो, के विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त हो।

(ज) किए गए किसी अन्य दावों के लिए दस्तावेजी प्रमाण।

टिप्पणी : यदि कोई दस्तावेज / प्रमाण-पत्र हिन्दी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में प्रस्तुत किया जाता है तो उक्त का लिप्यन्तरण किसी राजपत्रित अधिकारी या नोटरी से विधिवत रूप से अभिप्रमाणित कराकर अपलोड करना होगा।

(iii) महत्वपूर्ण : उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन में अपना सही और सक्रिय ई-मेल आईडी भरें क्योंकि आयोग द्वारा सभी पत्र-व्यवहार केवल ई-मेल के माध्यम से ही किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावों के संबंध में साक्षात्कार अनुसूची और प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्रों की प्रतियों से संबंधित अपेक्षाओं को यथासमय उम्मीदवारों को उनके रजिस्टर्ड ई-मेल आईडी पर भेजा जाएगा तथा आयोग की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।

(iv) जो उम्मीदवार एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे निर्धारित शुल्क सहित प्रत्येक पद के लिए अलग से आवेदन-पत्र भेजें।

(v) ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र (ओ.आर.ए.) को जमा करने के बाद उम्मीदवार द्वारा अंतिम रूप से जमा किए गए ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेना अपेक्षित है।

(vi) उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट या कोई अन्य दस्तावेज डाक द्वारा या दस्ती रूप से आयोग को भेजने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट तथा नीचे पैरा 7 में उल्लिखित अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

(vii) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे प्रत्येक पद के लिए केवल एक ही ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र जमा करें; तथापि, यदि वह एक पद के लिए एक से अधिक ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र जमा करता/करती है तो उसे यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि उच्चतर "आवेदन सं." वाला ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र शुल्क सहित सभी प्रकार से परिपूर्ण है। जो आवेदक एक से अधिक ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र जमा करते हैं उन्हें नोट कर लेना चाहिए कि आयोग द्वारा केवल उच्चतर "आवेदन सं." वाले ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र को ही स्वीकार किया जाएगा और एक "आवेदन सं." के लिए दिए गए आवेदन शुल्क को किसी अन्य "आवेदन पत्र सं." के लिए समायोजित नहीं किया जाएगा।

(viii) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करके ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र समय रहते जमा करा दें।

6 (ख) उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी के आधार पर साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्र में किए गए दावों के समर्थन में दस्तावेजों/संगत प्रमाण-पत्रों की स्व-प्रमाणित प्रतियां आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करनी होंगी।

“चेतावनी” :

उम्मीदवारों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर ही साक्षात्कार के लिए शार्टलिस्ट किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावे के समर्थन में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की जांच तभी की जाएगी जब उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावे के अनुसार योग्यताओं और अनुभवों, विज्ञापन तथा मॉडलिटीज के अनुसार विभिन्न रिपोर्टों और शार्टलिस्टिंग के लिए अपनाए गए मानदण्डों के संदर्भ में सूचना के आधार पर प्रथम दृष्टया पात्र पाया जाएगा। उन्हें यह अवश्य सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा दी गई जानकारी सही है। यदि बाद में किसी स्तर पर या साक्षात्कार के समय कोई सूचना या उनके द्वारा ऑन-लाइन आवेदन पत्र में किया गया कोई दावा झूठा

पाया जाता है तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और आयोग उन्हें स्थायी तौर पर या किसी निश्चित अवधि के लिए

- आयोग अपने द्वारा आयोजित की जाने वाली किसी परीक्षा या चयन से।
- केन्द्र सरकार अपने अधीन आने वाले किसी भी रोजगार से विवर्जित कर सकती है

7. साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज/प्रमाण-पत्र।

ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट और निम्नलिखित मूल दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों के साथ उनकी स्व-प्रमाणित प्रतियां तथा बुलावा पत्र में साक्षात्कार के लिए दर्शाई गई अन्य सामग्री साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करनी होगी। ऐसा न करने पर उम्मीदवार को साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। ऐसी स्थिति में ऐसे उम्मीदवार यात्रा खर्च के रूप में आयोग द्वारा दिए जाने वाले अंशदान के हकदार नहीं होंगे :-

(क) मैट्रिकुलेशन/10वीं स्तर या समकक्ष प्रमाण-पत्र जिसमें जन्मतिथि दर्शाई गई हो, या मैट्रिकुलेशन/10वीं स्तर की अंकतालिका या केन्द्र/राज्य बोर्ड द्वारा जारी किया गया समकक्ष प्रमाण-पत्र, जिसमें उनकी आयु के दावे के समर्थन में जन्मतिथि दर्शाई गई हो। जहां संबंधित शैक्षिक बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र/अंकतालिका में जन्म की तिथि का अभिलेखबद्धन किया गया हो, उन मामलों में विद्यालय छोड़ने संबंधी प्रमाण-पत्र में दर्शाई गई जन्म की तिथि (जैसा कि तमिलनाडु और केरल के मामले में) पर विचार किया जाएगा।

(ख) दावा की गई शैक्षिक योग्यताओं के प्रमाण के रूप में सभी शैक्षिक वर्षों की अंकतालिकाओं के साथ-साथ डिग्री/डिप्लोमा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे। डिग्री/डिप्लोमा प्रमाणपत्र जमा न किए जाने की स्थिति में, सभी शैक्षिक वर्षों की अंकतालिकाओं के साथ अनंतिम प्रमाण-पत्र स्वीकार्य होगा।

(ग) अनिवार्य योग्यताओं के समकक्ष खंड के संबंध में यदि कोई उम्मीदवार यह दावा करता है कि कोई विशिष्ट योग्यता विज्ञापन के अनुसार अपेक्षित अनिवार्य योग्यता के समकक्ष है तो उम्मीदवार को उस प्राधिकरण के बारे में बताते हुए उस आदेश/पत्र की प्रति (संख्या तथा तिथि सहित) संलग्न करनी होगी जिसके अंतर्गत इसे उस रूप में स्वीकार किया गया हो।

(घ) दावा किए गए समग्र अनुभव के लिए निर्धारित प्रपत्र में संगठन (संगठनों) / विभाग (विभागों) के अध्यक्ष (अध्यक्षों) द्वारा दिए गए प्रमाण-पत्र, जिनमें स्पष्ट रूप से रोजगार की अवधि (तिथि, मास तथा वर्ष), मूल वेतन तथा समेकित वेतन का अभिलेखबद्ध किया गया हो, की स्व-प्रमाणित प्रतियां। इस प्रमाण-पत्र (प्रमाण-पत्रों) में उक्त पद (पदों) पर किए गए कार्यों का स्वरूप/प्राप्त किए गए अनुभव की अवधि (अवधियों) का अभिलेखबद्ध भी किया जाना

चाहिए। अनुभव प्रमाण-पत्र, पद से संगत निर्धारित प्रपत्र में जारी किया जाना चाहिए। यदि अनुभव संबंधी कोई प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में नहीं है लेकिन उसमें ऊपर दिए गए सभी विवरण शामिल हैं, तो आयोग उस पर गुण-दोष के आधार पर विचार करेगा।

(ड) अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. की हैसियत से आरक्षण का लाभ चाहने वाले उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रपत्र में जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें स्पष्ट रूप से उम्मीदवार की जाति, उस अधिनियम/आदेश का अभिलेखबद्ध किया गया हो जिसके अंतर्गत उसकी जाति को अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के रूप में मान्यता प्रदान की गई हो तथा उस गांव/शहर का नाम जहां वह सामान्यतः निवास कर रहा है।

(च) अ.पि.व. के रूप में आरक्षण का लाभ चाहने वाले उम्मीदवार को समुदाय प्रमाण-पत्र (अ.पि.व.) के अलावा निर्धारित प्रपत्र में यह घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि वह निर्णायक तिथि को 'क्रीमी लेयर' में शामिल नहीं है। जब तक अन्यथा अभिलेखबद्ध किया गया हो, पद के लिए ऑनलाइन भर्ती आवेदन प्राप्ति की निर्धारित अंतिम तिथि निर्णायक तिथि मानी जाएगी।

(छ) चिकित्सा स्वस्थता के निर्धारित मानदण्डों के आधार पर नियुक्ति के लिए पात्र शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किया गया शारीरिक विकलांगता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। शारीरिक विकलांगता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से तात्पर्य चिकित्सा बोर्ड से है जो केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से गठित किया गया हो। केन्द्र/राज्य सरकार कम से कम तीन सदस्यों वाले एक चिकित्सा बोर्ड का गठन करेगा जिनमें से कम से कम एक सदस्य चलने/प्रमस्तिष्कीय/दृष्टि/श्रवण अक्षमता, जैसा भी मामला हो, के विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त हो।

(ज) कोई उम्मीदवार जो मैट्रिकुलेशन के बाद विवाह या पुनर्विवाह या तलाक आदि होने की स्थिति में नाम में परिवर्तन का दावा करता है तो उसे निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे :

i) **महिलाओं के विवाह के मामले में** - पति के पासपोर्ट की फोटोप्रति, जिसमें पत्नी के नाम का अभिलेखबद्ध हो या विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए विवाह प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित प्रति या पति तथा पत्नी द्वारा ओथ कमिशनर के सामने विधिवत शपथ लेते हुए संयुक्त फोटो सहित शपथ-पत्र।

ii) **महिलाओं के पुनर्विवाह की स्थिति में** - पहले पति के संदर्भ में तलाक विलेख/मृत्यु प्रमाण-पत्र, जैसी भी स्थिति हो, तथा वर्तमान पति के पासपोर्ट की फोटोप्रति जिसमें पत्नी के नाम का अभिलेखबद्ध हो या विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए विवाह प्रमाण-पत्र की

अनुप्रमाणित प्रति या पति तथा पत्नी द्वारा ओथ कमिशनर के समक्ष विधिवत शपथ लेते हुए एक संयुक्त फोटो सहित एक शपथ-पत्र।

iii) तलाकशुदा महिलाओं के मामले में - तलाक आदेश तथा एक पक्षीय विलेख/शपथ-पत्र, जिस पर ओथ कमिशनर के समक्ष विधिवत शपथ ली गई हो, की प्रमाणित प्रति।

iv) अन्य परिस्थितियों में महिला एवं पुरुष, दोनों के नाम परिवर्तन के मामले में, एक पक्षीय विलेख/शपथ पत्र जिस पर ओथ कमिशनर के सामने विधिवत रूप से शपथ ली गई हो और दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों की मूल समाचार कतरनें (एक दैनिक समाचार पत्र आवेदक के स्थायी तथा वर्तमान पते या निकटवर्ती क्षेत्र का होना चाहिए) तथा राजपत्र अधिसूचना की प्रति।

(झ) आयु में छूट के संबंध में प्रमाण पत्र/दस्तावेज :

i) ई.सी.ओ./एस.एस.सी.ओ. सहित भूतपूर्व सैनिक तथा कमीशन प्राप्त अधिकारियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रपत्र में।

ii) केन्द्र सरकार/संघ शासित सरकार के कर्मचारियों के लिए विज्ञापन की तिथि के पश्चात सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रपत्र में जारी।

iii) वे व्यक्ति जो विशेष उपबंध/आदेश के अंतर्गत आयु में छूट प्राप्त करना चाहते हैं।

(ञ) वे व्यक्ति जो नैमित्तिक/तदर्थ/दैनिक वेतन/घंटेवार भुगतान/संविदा आधार से इतर स्थाई या अस्थायी आधार पर पहले से ही सरकारी सेवा में हैं उन्हें यह घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि उन्होंने अपने कार्यालय प्रधान/विभागाध्यक्ष को यह लिखकर दे दिया है कि उन्होंने उक्त पद पर चयन के लिए आवेदन किया है।

(ट) व्यावसायिक पंजीकरण, भाषा, प्रकाशन, नेट, गेट, सम्मेलन, इंटरनेट संबंधी दावे के संबंध में प्रमाण-पत्र।

(ठ) किए गए किसी अन्य दावे (दावों) के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण।

टिप्पणी। : ऑनलाइन भर्ती आवेदन में वर्णित जन्म की तिथि निर्णायक है। बाद में जन्म की तिथि में परिवर्तन संबंधी किसी भी अनुरोध पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी II : उम्मीदवारों की साक्षात्कार के लिए लघुसूची तैयार करने के लिए वैध अनुभव की गणना करते समय उम्मीदवार द्वारा अंशकालिक, दैनिक वेतन, विजिटिंग/अतिथि फैकल्टी आधार पर प्राप्त अनुभव की अवधि को गिना नहीं जाएगा।

टिप्पणी III : यदि कोई दस्तावेज/प्रमाण-पत्र हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी अन्य भाषा में प्रस्तुत किया जाता है तो उक्त का लिप्यन्तरण किसी राजपत्रित अधिकारी या नोटरी से विधिवत अभिप्रमाणित कराकर प्रस्तुत करना होगा।

8. कदाचार के दोषी पाए गए उम्मीदवारों के विरुद्ध कार्रवाई :

उम्मीदवारों को यह चेतावनी दी जाती है कि आवेदन-पत्र भरते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें, और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह चेतावनी भी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित / प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई शोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें तथा न ही वे फेरबदल किया गया / जाली प्रलेख प्रस्तुत करें। यदि दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में उम्मीदवार को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए।

उम्मीदवार निम्नलिखित के लिए आयोग द्वारा दोषी माना जाता है या घोषित किया गया है:

- (क) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अथवा
- (ख) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा
- (ग) किसी अन्य व्यक्ति से छल से कार्य साधन कराया है, अथवा
- (घ) जाली प्रलेख या ऐसे प्रलेख प्रस्तुत किए हैं जिनमें फेरबदल किया गया है, अथवा
- (ङ) गलत या झूठे वक्तव्य दिए गए हैं या कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गई है, अथवा
- (च) अपने चयन के लिए उम्मीदवारी हेतु किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा
- (छ) परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, अथवा
- (ज) उत्तर पुस्तिका (ओं) पर असंगत बातें लिखी हों जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हों, अथवा
- (झ) परीक्षा भवन में अन्य किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार किया हो, अथवा
- (ञ) परीक्षा के संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, अथवा
- (ट) परीक्षा हाल/साक्षात्कार कक्ष में मोबाइल फोन/संचार यंत्र लाया हो।
- (ठ) पूर्वोक्त खंडों में विनिर्दिष्ट सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयास किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन) चलाया जा सकता है, और इसके साथ ही उसे—
 - (i) आयोग उस चयन से जिसका वह उम्मीदवार है अयोग्य ठहरा सकता है, और/अथवा
 - (ii) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए
 - आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन से
 - केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधीन किसी भी नौकरी से विवर्जित किया जा सकता है, और
 - (iii) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

9. अन्य सूचना/अनुदेश

- (क) सभी उम्मीदवारों को चाहे वे पहले से सरकारी सेवा में हो या सरकारी स्वामित्व वाले औद्योगिक या इसी प्रकार के अन्य संगठनों में नियुक्त हों या प्राइवेट रोजगार में हों उन्हें अपना आवेदन-पत्र आयोग को सीधे ऑनलाइन भेजना चाहिए। जो व्यक्ति पहले से ही सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से नैमित्तिक/तदर्थ/दैनिक मजदूरी/घंटेवार भुगतान/संविदा आधार के कर्मचारी से इतर प्रभारी कर्मचारियों की हैसियत से काम कर रहे हैं, उन्हें यह घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के प्रधान को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस चयन के लिए आवेदन किया है।
- (ख) सभी उम्मीदवारों की हर तरह से पात्रता निर्धारित करने की अंतिम तिथि वेबसाइट <https://www.upsconline.nic.in> में दर्शाई गई ऑनलाइन भर्ती आवेदन प्रस्तुत करने की निर्णायक तिथि होगी।
- (ग) अनिवार्य योग्यताओं के समकक्ष योग्यता खंड के संबंध में, यदि कोई उम्मीदवार किसी विशेष योग्यता को विज्ञापन की अपेक्षा के अनुसार किसी योग्यता के समकक्ष होने का दावा करता है तो उसे इस संबंध में वह आदेश/पत्र, जारी करने वाले प्राधिकारण का अभिलेखबद्ध (संख्या तथा तिथि) करना होगा जिसके अंतर्गत उक्त योग्यता को समकक्ष तौर पर स्वीकार किया गया हो अन्यथा ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र को रद्द किया जा सकता है।
- (घ) उम्मीदवारों से यदि अपेक्षा की गई तो उन्हें आयोग द्वारा निर्धारित स्थान पर वैयक्तिक साक्षात्कार के लिए अवश्य उपस्थित होना होगा। साक्षात्कार हेतु बुलाए गए उम्मीदवारों को आयोग कोई यात्रा खर्च और अन्य खर्च नहीं देता है। तथापि आयोग उम्मीदवार के निवास स्थान से निकटतम रेलवे स्टेशन से साक्षात्कार के स्थान तक अथवा जहां से उम्मीदवार वास्तव में यह यात्रा करता है, जो भी साक्षात्कार के स्थान से सबसे नजदीक पड़ता हो तथा वापसी उस स्थान तक अथवा उम्मीदवार द्वारा किए गए रेल किराए के वास्तविक खर्च, जो भी कम हो, के लिए द्वितीय श्रेणी के मेल रेल किराए की राशि के अनुरूप दर पर अंशदान देता है। इसका ब्यौरा उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर दिया जाएगा।
- (ङ) जिन उम्मीदवारों का साक्षात्कार दिल्ली में होता है उन्हें उनके द्वारा किराये के लिए किये गये खर्चों का भुगतान आयोग द्वारा साक्षात्कार वाले दिन ही कर दिया जाएगा बशर्ते कि वे सारी शर्तें पूरी करते हों। जिन उम्मीदवारों को दिल्ली से भिन्न अन्य स्थानों पर साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है उन्हें उसका भुगतान बाद में मनीआर्डर द्वारा कर दिया जाएगा। जो उम्मीदवार आयोग के काउण्टर से नकद में यात्रा भत्ता प्राप्त नहीं करना चाहते हैं उनका यात्रा भत्ता उनके संबंधित खातों में भी भेजा जा सकता है। ऐसे उम्मीदवारों को अपने यात्रा भत्ते के दावे के साथ एक रद्द चेक भी जमा कराना होगा ताकि उन्हें यह सुविधा मिल सके।

- (च) साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का अर्थ यह आश्वासन नहीं है कि उनका चयन कर लिया जाएगा। चयन किए गए उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश सरकार द्वारा जारी किए जाएंगे।
- (छ) उम्मीदवार शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होना चाहिए। चयन हो जाने पर उन्हें सरकार की अपेक्षानुसार स्वास्थ्य परीक्षा कराने के लिए तैयार रहना होगा और ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी को संतुष्ट करना होगा।
- (ज) उम्मीदवारों को अंतिम परिणाम के बारे में संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट / रोज़गार समाचार के माध्यम से यथासमय सूचित कर दिया जाएगा और इसलिए परिणाम के बारे में की जाने वाली अंतरिम पूछताछ अनावश्यक है तथा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। आयोग साक्षात्कार/नियुक्ति के लिए चयन न होने के कारणों के बारे में उम्मीदवारों से कोई पत्र व्यवहार नहीं करता है।
- (झ) आयोग अपने विवेक से साक्षात्कार के दौरान विशेष योग्यता तथा अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को उच्चतर प्रारंभिक वेतन प्रदान कर सकता है।
- (ञ) अपने पक्ष में किसी भी प्रकार की अनुयाचना करने से उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

महत्वपूर्ण

संघ लोक सेवा आयोग के परीक्षा / साक्षात्कार हॉल में मोबाइल फोन लाने पर प्रतिबंध है।

- (क) सरकार ऐसे कार्य बल के लिए प्रयासरत है जिससे महिला और पुरुष कार्मिकों का संतुलन प्रदर्शित हो और महिला उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
- (ख) यदि उम्मीदवार अपने आवेदन, उम्मीदवारी, आदि के संबंध में किसी प्रकार का मार्गदर्शन / जानकारी/ स्पष्टीकरण चाहते हैं तो वे आयोग परिसर में गेट 'सी' पर संघ लोक सेवा आयोग के सुविधा केन्द्र पर वैयक्तिक रूप से या दूरभाष सं० 011-23385271 / 011-23381125 / 011-23098543 पर कार्य दिवसों के दौरान 10.00 बजे से 17.00 बजे तक संपर्क कर सकते हैं।

विभिन्न प्रमाणपत्रों के लिए **निर्धारित प्रोफार्मा** के प्रपत्र आयोग की शासकीय वेबसाइट <https://www.upsc.gov.in> पर प्रमाणपत्रों के फार्म भर्ती शीर्ष के अन्तर्गत (लिंक

<https://www.upsc.gov.in./recruitment>) उपलब्ध करवाए गए हैं। उम्मीदवार उनको डाउनलोड करके तदनुसार भर सकते हैं।
